कार्यालय–प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
E-Mail ID: nodalofficerddn@gmail.com, Phone/Fax: 0135 2767611

G20

पत्रांक– 524 /12–1 :देहरादूनः दिनांकः 31 अगस्त, 2024.

सेवा में,

उप वन महानिदेशक (के0),
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय,
25–सुभाष रोड, देहरादून।

विषय :– जनपद देहरादून के विकासखण्ड सहसपुर में पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत प्रस्तावित पुरुकुल गांव से भितराली–किगाड़ी मोटर मार्ग हेतु 3.528 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।

(Online Proposal NO- FP/UK/ROAD/20710/2016)

सन्दर्भ :– भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून का पत्र संख्या– 8बी0/यू०सी०पी०/06/120/2018/एफ०सी०/23 दिनांक– 02.05.2020.

महोदय,

उपरोक्त विषयक के क्रम में अवगतनीय है कि भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून का पत्र संख्या– 8बी0/यू०सी०पी०/06/120/2018/एफ०सी०/23 दिनांक– 02.05.2020 के द्वारा सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की अनुपालन आख्या उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया था। वन संरक्षक, यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून का पत्र 192/12–1 दिनांक 06.08. 2024 के द्वारा बिन्दुवार आख्या निम्नानुसार प्रेषित की जा रही हैः–

क्र0सं0	अधिरोपित शर्त	अनुपालन आख्या
1.	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जायेगी।	वन संरक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वनभूमि की विधिक परिस्थिति न बदले जाने के आशय का प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है। (संलग्नक–1)
2	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जायेगी।	वन संरक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न है कि परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जायेगी। (संलग्नक–2)
3	प्रतिपूरक वनीकरण :– (क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 7.056 है० सिविल भूमि, ग्राम खारसी सिविल खसरा नं0 2336 में प्रतिपूरक वनीकरण किया जायेगा। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल कृषि से बचें। (ख) गैर वानिकी भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित एवं रूपांतरित किया जाएगा। भूमि के हस्तान्तरण, नामान्तरण एवं के पश्चात ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी। के अनुसार ऐसे	वन संरक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण हेतु पूर्व में प्रस्तावित 7.056 हे0 सिविल भूमि ग्राम खारसी सिविल खसरा नं0 2336 क्षतिपूरक वनीकरण हेतु उपयुक्त न होने के कारण उपरोक्तानुसार मसूरी वन प्रभाग की मसूरी रेंज के अन्तर्गत मोटीधार कक्ष संख्या 4 में 7.10 हे0 अवनत वन भूमि चयनित की गयी है, जिससे सम्बन्धित दस्तावेज/मैप/के0एम0एल0 फाईल संलग्न है। (संलग्नक–3)

1/4

	क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावों में प्रस्तुत किये गये हं को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति से पूर्व आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक है।	
4	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर अति आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जायेगा। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षो तक अनुरक्षित किया जायेगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यो के लिए अप्रत्याशित वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किये जा सकते हैं।	वन संरक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा आवश्यक धनराशि ₹ 23,79,170.00 कैम्पा कोष में जमा कर दी गयी है। साथ ही क्षतिपूरक वनीकरण योजना संलग्न है। (संलग्नक–4)
5	शुद्ध वर्तमान मूल्य :– (क) इस सम्बन्ध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्या–202/1995 में IA नम्बर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08. 2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05. 2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक–5–1/1998–एफ०सी० (pt.-2) दिनांक– 18.09.2003, 5–2/2006–एफ०सी० दिनांक–03.10.2006, 5–3/2007–एफ०सी० दिनांक–05.02.2009 एवं 5–3/2011–एफ०सी० (Vol I) दिनांक– 06. 01.2022 में जारी दिशा–निर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से प्रस्ताव के तहत 4.22 है० वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) वसूल करेगी।	वन संरक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त प्रस्ताव के तहत 3.528 है० वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य (NPV) ₹ 29,81,160.00 (उनतीस लाख इक्कासी हजार एक सौ साठ रूपये) मात्र की धनराशि जमा की गयी है।
	(ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त धनराशि, यदि कोई हो, जो अन्तिम रूप देने के वाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जायेगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा।	वन संरक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपलब्ध कराया गया इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न है कि विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त धनराशि, यदि कोई हो, जो अन्तिम रूप देने के वाद देय हो, को प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा कर दिया जायेगा। (संलग्नक–5)
6	प्रयोक्ता एजेन्सी प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम रखेगा जोकि प्रस्ताव के अनुसार 158 एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगें। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।	वन संरक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेडों की कटाई न्यूनतम कर देगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 158 होगी। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन निगम को पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जा चुकी है। (संलग्नक–6)
7	DFO will submit an undertaking that no plantation has been done in the past in CA area.	वन संरक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वांछित प्रमाण–पत्र संलग्न है। (संलग्नक–7)
8	State Govt. will inform to this office if they pass any order for tree cutting and commencement of work before stage II	वन संरक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा विधिवत स्वीकृति से पूर्व कार्य की अनुमति एक साल के लिए वैध है,

	approval as per guidelines para 11.2. The State Govt. will strictly moniter of issue such permission activity is carried out under such permission after the expiry of one year form the date of issue of such permission.	जिसके पश्चात कोई निर्माण कार्य विधिवत स्वीकृति से पूर्व नही किया जायेगा. इस सम्बन्ध मे प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रमाण पत्र भी उपलब्ध कराया गया है। (संलग्नक–8)
9	परियोजना के तहत प्रयोक्त एजेन्सी से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (http://parivesh-nic-in) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानान्तरित ध्जमा किया जाएगा।	वन संरक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सभी निधियों की कुल धनराशि ₹ 53,60,330.00 (तिरपन लाख साठ हजार तीन सो तीस रुपये) मात्र ई–पोर्टल (http://parivesh.nic.in) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानान्तरित/जमा कर दिया गया है। (संलग्नक–9)
10	एफ०आर०ए०. 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा।	वन संरक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एफ०आर०ए०. 2006 से सम्बन्धित प्रमाण पत्र संलग्न है। (संलग्नक–10)
11	प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी के मानदंडो के अनुसार सड़क के दोनो किनारों एवं उसके बीचों बीच पौधों की संख्या बढ़ाएगा।	वन संरक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपलब्ध कराया गया वांछित प्रमाण–पत्र सलग्न है। (संलग्नक–11)
12	संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रो में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाए जाएंगे।	वन संरक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपलब्ध कराया गया है कि वांछित प्रमाण–पत्र संलग्न है। (संलग्नक–12)
13	CWLW/NBWL/FC/REC की सिफारिशों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण संरक्षित क्षेत्र में ध्वन क्षेत्र में उपयुक्त अंडर/ओवर पास प्रदान करेगा।	वन संरक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपलब्ध कराया गया है कि वांछित प्रमाण–पत्र संलग्न है। (संलग्नक–13)
14	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करेगा।	वन संरक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र संलग्न है। (संलग्नक–14)
15	केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के विना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जायेगा।	वन संरक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपलब्ध कराया गया इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न है कि केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के विना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जायेगा। (संलग्नक–15)
16	वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नही किया जायेगा।	वन संरक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपलब्ध कराया गया इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न है कि वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नही किया जायेगा। (संलग्नक–16)
17	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्जीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकडी विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।	वन संरक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपलब्ध कराया गया इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्जीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकडी विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा। (संलग्नक–17)
18	सम्बन्धित वन मडल अधिकारी के निर्देशानुसार वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर आ०सी०सी० पिलर्स के द्वारा सीमांकन किया जाएगा।	वन संरक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वांछित प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है। (संलग्नक–18)
19	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर	वन संरक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा परियोजना कार्य के

	जाएगा।	लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा, इस आशय का प्रमाण पत्र प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा संलग्न किया गया है। (संलग्नक–19)
20	इस अनुमोदन में प्रत्यावर्तन की अवधि को प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में मिली लीज की अवधि के साथ अथवा परियोजना की पूर्ण अवधि, जो भी कम हो, लक्षित किया जायेगा।	वन संरक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वांछित प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है। (संलग्नक–20)
21	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।	वन संरक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपलब्ध कराया गया इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न है कि वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव मे विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा। (संलग्नक–21)
22	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के विना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति मे किसी भी अन्य एजेसियों , विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।	वन संरक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपलब्ध कराया गया इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न है कि केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के विना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति मे किसी भी अन्य एजेसियो; विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जायेगी। (संलग्नक–22)
23	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लघंन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशा–निर्देश फाईल संख्या–11–42/2017–एफ०सी० दिनांक–29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्रवाई होगी।	वन संरक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वांछित प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है। (संलग्नक–23)
24	पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्तें लागू होगी।	वन संरक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रमाण पत्र संलग्न है। (संलग्नक–24)
25	अनुपालन रिपोर्ट ई–पोर्टल (http://parivesh.nic.in) पर अपलोड की जाएगी।	वन संरक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा रिपोर्ट ई–पोर्टल (http://parivesh.nic.in) पर अपलोड किया गया है।

अतः वन संरक्षक/प्रभागीय वनाधिकारी के अनुरोध के दृष्टिगत प्रश्नगत प्रकरण पर वन (संरक्षण एव संवर्द्धन) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत यथोचित कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(आर०के० मिश्र)
प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या :– 524 /12–1 (दे०दू०) दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. वन संरक्षक, यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी वन प्रभाग, मसूरी/चकराता वन प्रभाग, चकराता।
3. अधिशासी अभियन्ता, पी०एम०जी०एस०वाई०, सिंचाई खण्ड, इन्दिरानगर, देहरादून।

(आर०के० मिश्र)
प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण

कार्यालय वन संरक्षक, यमुना वृत्त,उत्तराखण्ड,देहरादून।

87—राजपुर रोड, देहरादून, फोन/फैक्स—0135—2745779 E-mail (yamunacircle@gmail.com)

पत्रांक— 192 /12—1 देहरादून, दिनांक, 06 अगस्त 2024।

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
(वन संरक्षण) उत्तराखण्ड,
देहरादून।

विषय :— जनपद देहरादून के विकासखण्ड सहसपुर में पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत प्रस्तावित पुरुकुल गांव से भितराली—किमाड़ी मोटर मार्ग हेतु 3.528 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव (**Proposal no. FP/UK/Road/20710/2016.)**

संदर्भ :— आपका पत्रांक 2115/FP/UK/Road/20710/2016 दिनांक 05.03.2022 एवं भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून का पत्रांक 8बी/यू0सी0पी0/06/120/2018/एफ0सी0/23 दिनांक 02.05.2020

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्रों से प्राप्त निर्देशों के क्रम में उप वन संरक्षक, मसूरी वन प्रभाग द्वारा विषयगत वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव के सम्बन्ध में निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्तों की बिन्दुवार अनुपालन आख्या पत्रांक 62/12—1 दिनांक 04—07—2024 से मय अभिलेखों के इस कार्यालय को प्रेषित की गई है। अनुपालन आख्या का परीक्षण इस कार्यालय स्तर से भी कर लिया गया है।

अतः उक्त अनुपालन आख्या मूल में मय संलग्नक (तीन प्रतियों में) संस्तुति सहित आवश्यक कार्यवाही के प्रेषित है।

<u>संलग्नक :— उपरोक्तानुसार।</u>

प्रभारी देहरादून
आ0का0केन्द्र।

कार्यालय
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण,भूमि सर्वेक्षण निदेशालय,उत्तराखण्ड
देहरादून 546
पंजी0 सं0 12-1
पत्रावली 12-8-24
दिनांक

भवदीया

(कहकशां नसीम, भा0व0से0)
वन संरक्षक,
यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक /12—1 तद्दिनांकित।

<u>प्रतिलिपि</u> :— उप वन संरक्षक, मसूरी वन प्रभाग, मसूरी को उनके पत्रांक 62/12—1 दिनांक 04—07—2024 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

(कहकशां नसीम, भा0व0से0)
वन संरक्षक,
यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।

कार्यालय उप वन संरक्षक, मसूरी वन प्रभाग, मसूरी

Email: dfo_mussoorie@rediffmail.com Phone/Fax-0135-2631765

पत्रांक- 62 /12-1 मसूरी, दिनांक- 04 / 07 / 2024

प्रभाग संख्या 136
पत्रावली संख्या 12-1
क्रम संख्या ....
दिनांक 11/07/24

सेवा में,

वन संरक्षक,
यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

विषय :- **जनपद देहरादून के विकासखण्ड सहसपुर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित पुरूकुल गांव से भितरली –किमाड़ी मोटर मार्ग हेतु 3.528 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विकास विभाग को प्रत्यावर्तन। (Online Proposal NO.- FP/UK/ROAD/20710/2016)**

सन्दर्भ :- 1- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून का पत्र संख्या-8बी/यू०सी०पी०/06/120/2018/एफ०सी०/23, दिनांक- 02.05.2020।

2- इस कार्यालय का पत्रांक-5184/12-1, दिनांक-28.03.2022, 4807/12-1, दिनांक-28.02.2022 एवं 2233/12-1, दिनांक-11.11.2020 एवं 5511/12-1, दिनांक-16.04.2022।

3- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून का पत्रांक-2445/FP/UK/ROAD/2016, दिनांक-08.05.2020, 1580/ FP/UK/ROAD/2016, दिनांक-04.12.2020 एवं 2115/ FP/UK/ROAD/2016, दिनांक-05.03.2022।

4-अधिशासी अभियन्ता, पी०एम०जी०एस०वाई०, सिंचाई खण्ड, देहरादून का पत्रांक-651/पी०एम०जी०एस०वाई०/सिं०ख०, देहरादून/अनुरक्षण, दिनांक-25.06.2024।

वन संरक्षक
यमुना वृत्त
उत्तराखण्ड, देहरादून
08/07

महोदय,

भारत सरकार के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के द्वारा विषयांकित प्रकरण में कतिपय शर्तो के अधीन सैद्धांतिक स्वीकृति **(संलग्नक-i)** निर्गत की गयी है। सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की अनुपालन आख्या इस कार्यालय का पत्रांक-2233/12-1, दिनांक-11.11.2020 **(संलग्नक-ii)** से नोडल कार्यालय को उपलब्ध करायी गयी, जिसके क्रम में नोडल कार्यालय द्वारा अनुपालन आख्या में कतिपय कमियां उनके सन्दर्भित पत्रों **(संलग्नक-iii)**के द्वारा इंगित की गयी जिनका निराकरण इस कार्यालय के पत्र संख्या- 4807/12-1, दिनांक-28.02.2022 **(संलग्नक-iv)** से उपलब्ध करायी गयी।

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून का पत्रांक - 2115/ FP/UK/ROAD/2016, दिनांक-05.03.2022 **(संलग्नक-v)** से बिन्दुवार अनुपालन प्रश्न-उत्तर कॉलम में तैयार उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया, जो कि इस कार्यालय के पत्र संख्या - 5184/12-1, दिनांक-28.03.2022 **(संलग्नक-vi)** से आपके माध्यम से प्रस्तुत की गयी।

महोदय, सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त संख्या 3 एवं 7 के अलावा सभी शर्तों की अनुपालन आख्या उपलब्ध करायी जा चुकी है। शर्त संख्या 3 व 7 क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित क्षेत्र से सम्बन्धित है, जिसकी आख्या चकराता वन प्रभाग द्वारा दी जानी थी, जिस हेतु इस कार्यालय के पत्र संख्या- 5511/12-1, दिनांक-16.04.2022 **(संलग्नक-vii)**से प्रभागीय वनाधिकारी, चकराता वन प्रभाग को लिखा गया है। उक्त सम्बन्ध में प्रभागीय वनाधिकारी, चकराता वन प्रभाग द्वारा अपने पत्र संख्या-4454 /12-1, दिनांक-31 मई 2022 **(संलग्नक-viii)** द्वारा अवगत कराया गया है कि क्षतिपूरक वनीकरण हेतु ग्राम खारसी सिविल में प्रस्तावित 7.056 है० भूमि विवादित होने के कारण उक्त भूमि पर वृक्षारोपण कार्य किया जाना सम्भव नहीं है। इसके अतिरिक्त उक्त भूमि के स्थान पर जिलाधिकारी देहरादून द्वारा ग्राम खारसी में अन्य भूमि भी आंवटित की गयी जो कि मौके पर पथरीली व ढंगारी होने के कारण वृक्षारोपण योग्य नहीं है।**(संलग्नक-ix)**

महोदय, उक्तानुसार क्षतिपूरक वनीकरण हेतु उपयुक्त भूमि न होने के कारण प्रकरण में अनुपालन आख्या भारत सरकार को

प्रेषित की जानी सम्भव नहीं हो पा रहा है। इसलिए वर्तमान में मसूरी वन प्रभाग के अन्तर्गत मोटीधार कक्ष संख्या 4 में 7.10 है० अवनत वन भूमि क्षतिपूरक वनीकरण हेतु प्रस्तावित की गयी है, जिससे सम्बन्धित के०एम०एल० फाईल (CD में), मानचित्र, उपयुक्तता प्रमाण पत्र एवं प्रतिपूरक वनीकरण योजना संलग्न कर इस पत्र के साथ प्रेषित है। **(संलग्नक-x)**

प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सन्दर्भित पत्र से उपरोक्त के दृष्टिगत पुन: अनुपालन आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गयी है, जो कि निम्नवत आपको प्रेषित है :-

शर्त संख्या	सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त	अनुपालन आख्या
1	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जायेगी।	शर्त संख्या 1 के अनुपालन में वनभूमि की विधिक परिस्थिति न बदले जाने के आशय का प्रमाण पत्र प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा संलग्न किया गया है। **(संलग्नक-1)**
2	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जायेगी।	शर्त संख्या 2 क्रम में इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न है कि परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जायेगी।
3	**प्रतिपूरक वनीकरण :** (क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 7.056 है० सिविल भूमि ग्राम खारसी सिविल खसरा नं० 2336 में प्रतिपूरक वनीकरण किया जायेगा। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल कृषि से बचें। (ख) गैर वानिकी भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित एवं रूपांतरित किया जाएगा। भूमि के हस्तान्तरण, नामान्तरण एवं Notification के पश्चात ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत् स्वीकृति प्रदान की जायेगी। Guideline para 2.4 (i) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावों में प्रस्तुत किये गये हैं को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति से पूर्व आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक है।	शर्त संख्या 3 के क्रम में अवगत कराना है कि प्रकरण में प्रतिपूरक वनीकरण हेतु पूर्व में प्रस्तावित 7.056 है० सिविल भूमि ग्राम खारसी सिविल खसरा नं० 2336 क्षतिपूरक वनीकरण हेु उपयुक्त न होने के कारण उपरोक्तानुसार मसूरी वन प्रभाग की मसूरी रेंज के अन्तर्गत मोटीधार कक्ष संख्या 4 में 7.10 है० अवनत वन भूमि चयनित की गयी है, जिससे सम्बन्धित दस्तावेज/मैप/के०एम०एल० फाईल संलग्नक-x में संलग्न है।
4	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर अति आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जायेगा। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जायेगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए अप्रत्याशित वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किये जा सकते हैं।	शर्त संख्या 4 के क्रम में अवगत कराना है कि प्रतिपूरक वनीकरण हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा आवश्यक धनराशि ₹ 23,79,170.00 कैम्पा कोष में जमा कर दी गयी है। साथ ही क्षतिपूरक वनीकरण योजना संलग्नक-x में संलग्न है।

5	**शुद्ध वर्तमान मूल्य** (क) इस सम्बन्ध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्या-202/1995 में IA नम्बर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक-5-1/1998-एफ०सी० (pt.-2) दिनांक-18.09.2003, 5-2/2006-एफ०सी० दिनांक-03.10.2006, 5-3/2007-एफ०सी० दिनांक-05.02.2009 में जारी दिशा-निर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से प्रस्ताव के तहत **3.528 है०** वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) वसूल करेगी। (ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त धनराशि, यदि कोई हो, जो अन्तिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जायेगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा।	शर्त संख्या 5 (क) के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त प्रस्ताव के तहत 3.528 है० वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य (NPV) ₹ 29,81,160.00 (उनतीस लाख इक्कासी हजार एक सौ साठ रुपये) मात्र की धनराशि जमा की गयी है। शर्त संख्या 5 (ख) के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपलब्ध कराया गया इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न है कि विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त धनराशि, यदि कोई हो, जो अन्तिम रूप देने के बाद देय हो, को प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा कर दिया जायेगा। **(संलग्नक-5)**
6	प्रयोक्ता एजेन्सी प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम कर देगा जोकि प्रस्ताव के अनुसार 158 होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगें। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।	शर्त सख्या 6 के क्रम में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ो की कटाई न्यूनतम कर देगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 158 होगी। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन निगम को पेड़ो की कटाई की लागत जमा की जा चुकी है।
7	DFO will submit an undertaking that no plantation has been done in the past in CA area.	शर्त सख्या 7 के अनुपालन में वांछित प्रमाण पत्र संलग्न है। **(संलग्नक-7)**
8	State Govt. will inform to this office if they pass any order for tree cutting and commencement of work before stage II approval as per guidelines para 11.2. The State Govt. will strictly moniter of issue such permission activity is carried out under such permission after the expiry of one year form the date of issue of such permission.	शर्त सख्या -8 के क्रम में अवगत कराना है कि यदि विधिवत स्वीकृति से पूर्व कार्य की अनुमति एक साल के लिए वैद्य है, जिसके पश्चात कोई निर्माण कार्य विधिवत स्वीकृति से पूर्व नहीं किया जायेगा, इस सम्बन्ध में में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रमाण पत्र भी उपलब्ध कराया गया है, जो कि संलग्न कर प्रेषित है। **(संलग्नक-8)**
9	परियोजना के तहत प्रयोक्त एजेन्सी से प्राप्त धन केवल ई-पोर्टल (http://parivesh.nic.in) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानान्तरित /जमा किया जाएगा।	शर्त संख्या 9 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सभी निधियों की कुल धनराशि ₹ 53,60,330.00 (तिरपन लाख साठ हजार तीन सौ तीस रुपये मात्र) ई-पोर्टल (http://parivesh.nic.in) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानान्तरित /जमा किया गया है।
10	एफ०आर०ए०, 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा।	शर्त संख्या 10 के अनुपालन में एफ०आर०ए०, 2006 से सम्बन्धित प्रमाण पत्र संलग्न है। **(संलग्नक-10)**

11	प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी के मानदंडो के अनुसार सड़क के दोनो किनारों एवं उसके बीचों बीच पौधो की संख्या बढाएगा।	शर्त संख्या 11 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपलब्ध कराया गया वांछित प्रमाण पत्र संलग्न है। **(संलग्नक-11)**
12	संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाए जाएंगे।	शर्त संख्या 12 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपलब्ध कराया गया वांछित प्रमाण पत्र संलग्न है। **(संलग्नक-12)**
13	सीडब्ल्यूएलडब्ल्यू/ एनबीडब्ल्यू/ एफएसी/आरईसी की सिफारिशों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण संरक्षित क्षेत्र में ध्वन क्षेत्र में उपयुक्त अंडर/ओवर पास प्रदान करेगा।	शर्त संख्या 13 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपलब्ध कराया गया वांछित प्रमाण पत्र संलग्न है। **(संलग्नक-13)**
14	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करेगा।	शर्त संख्या 14 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपलब्ध कराया गया वांछित प्रमाण पत्र संलग्न है। **(संलग्नक-14)**
15	केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जायेगा।	शर्त संख्या 15 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपलब्ध कराया गया इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न है कि केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जायेगा। **(संलग्नक-15)**
16	वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जायेगा।	शर्त संख्या 16 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपलब्ध कराया गया इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न है कि वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जायेगा।**(संलग्नक-16)**
17	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्जीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत सें पर्याप्त लकड़ी विशेषत: वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।	शर्त संख्या 17 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपलब्ध कराया गया इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्जीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत सें पर्याप्त लकड़ी विशेषत: वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।**(संलग्नक-17)**
18	सम्बन्धित वन मंडल अधिकारी के निर्देशानुसार वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर आ०सी०सी० पिलर्स के द्वारा सीमांकन किया जाएगा।	शर्त संख्या 18 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वांछित प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है। **(संलग्नक-18)**
19	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।	शर्त संख्या 19 के क्रम में परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा, इस आशय का प्रमाण पत्र प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा संलग्न किया गया है। **(संलग्नक-19)**
20	इस अनुमोदन में प्रत्यावर्तन की अवधि को प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में मिली लीज की अवधि के साथ अथवा परियोजना की पूर्ण अवधि, जो भी कम हो, लक्षित किया जायेगा।	शर्त संख्या 20 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वांछित प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है। **(संलग्नक-20)**
21	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।	शर्त संख्या 21 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपलब्ध कराया गया इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न है कि वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा। **(संलग्नक-21)**

22	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति मे किसी भी अन्य एजेसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।	शर्त संख्या 21 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपलब्ध कराया गया इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न है कि केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति मे किसी भी अन्य एजेसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जायेगी। **(संलग्नक-22)**
23	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लघंन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशा-निर्देश फाईल संख्या-11-42/2017-एफ०सी० दिनांक-29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्रवाई होगी।	शर्त संख्या 23 के क्रम में वांछित प्रमाण पत्र प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा संलग्न किया गया है।**(संलग्नक-23)**
24	पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित शर्तें लागू होगी।	शर्त संख्या 24 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रमाण पत्र संलग्न है। **(संलग्नक-24)**
25	अनुपालन रिपोर्ट ई-पोर्टल (http://parivesh.nic.in) पर अपलोड की जाएगी।	शर्त संख्या 25 के क्रम में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अनुपालन रिपोर्ट ई-पोर्टल (http://parivesh.nic.in) पर अपलोड कर दी गयी है।

अत: अनुरोध है कि सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त संख्या-03 प्रतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल में संशोधन एवं प्रकरण में विधिवत स्वीकृति हेतु अग्रिम कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नक – उपरोक्तानुसार (तीन प्रतियों में मय मूल प्रति)

भवदीय,

(अमित कंवर)
उप वन संरक्षक
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी

संख्या : 62 / 12-1, तद् दिनांकित

प्रतिलिपि -निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित :-

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अधिशासी अभियन्ता, पी०एम०जी०एस०वाई०, सिंचाई खण्ड, देहरादून।

उप वन संरक्षक
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी

65

कार्यालय जि राादून

संख्या– 1141 / 12ए–143 (2014–17) / डी०,..०...०... / 2015 दिनांक 18 जनवरी, 2016

विषय– जनपद देहरादून में पुरूकुल भितरली किमाड़ी मोटर मार्ग के नवनिर्माण में आ रही 3.528 है० वन भूमि के प्रतिकर स्वरूप दोगुनी सिविल सोयम / बंजर भूमि 7.1 है० क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को हस्तान्तरण किये किये जाने के सम्बन्ध में।

उपजिलाधिकारी, चकराता
जनपद–देहरादून।

उपरोक्त उल्लिखित प्रकरण पर आपकी आख्या दिनांक 24 सितम्बर, 2015 अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्राप्त हुयी है, जनपद देहरादून में पुरूकुल भितरली किमाड़ी मोटर मार्ग के नवनिर्माण में आ रही 3.528 है० वन भूमि के प्रतिकर स्वरूप क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ग्राम खारसी, परगना–जौनसार बावर, तहसील–चकराता के खाता संख्या 000193 के खसरा नं० 2336 रकबा 61.00 में से 7.1 है० भूमि, अंतर्गत श्रेणी 5(3)ड0–अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित किया गया है।

आप के द्वारा प्रेषित उपरोक्त प्रस्ताव को जिलाधिकारी महोदय द्वारा सम्बन्धित पत्रावली में दिनांक 15.01.2016 को अनुमोदित कर दिया गया है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आप जिलाधिकारी महोदय के अनुमोदन आदेश दिनांक 15.01.2016 के कम में नियमानुसार ग्राम खारसी, परगना–जौनसार बावर, तहसील–चकराता के खाता संख्या 000193 के खसरा नं0 2336 रकबा 61.00 में से 7.1 है0 भूमि, अंतर्गत श्रेणी 5(3)ड0–अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग, उत्तराखण्ड शासन के नाम अभिलेखों में दर्ज करते हुये, कृत कार्यवाही से अवगत कराना सुनिश्चित करें।

(प्रताप सिंह शाह)
अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)
देहरादून

प्रतिलिपि –

अधिशासी अभियन्ता पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड, देहरादून को उपरोक्त वर्णित प्रकरण पर उनके पत्र संख्या– 747 / पी0एम0जी0एस0वाई0 / सिं0ख0–दे0दून / जनरल दिनांक 10 जून, 2015 के कम में सूचनार्थ प्रेषित।

अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)
देहरादून

कार्यालय जिलाधीश देहरादून COLLECTOR DEHRA DUN

आदेश

अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड, 6–इन्दिरा नगर, देहरादून के पत्रांक 1038/पी.एम.जी.एस.वाई./सिं0ख0–दे0दून/दिनांक 13.09.2022 के द्वारा जनपद देहरादून में पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत ग्राम पुरूकूल गांव से भितरली–किमाडी मोटर मार्ग हेतु 3.528है0 वन भूमि गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावेदन प्रस्ताव संख्या (FP/UK/ROAD/20710/2016) के कम में पूर्व में आवंटित ग्राम खारसी के खाता संख्या 193 खसरा नम्बर 2336 रकबा 61.00है0 में से 7.100है0 श्रेणी 5–3(ड) अन्य कृषि योग्य भूमि को निरस्त करते हुए ग्राम खारसी के खाता संख्या 193 खसरा नम्बर 549 रकबा 44.350है0 श्रेणी 5–3–ड अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि मध्य रकबा 7.100है0 भूमि वन विभाग को हस्तान्तरित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

उपजिलाधिकारी चकराता के द्वारा अपने कार्यालय पत्र संख्या–370/एस0टी0/2022 दिनांक 29.12.2022 द्वारा आख्या/प्रस्ताव प्रेषित किया गया है, जिसमें तहसील चकराता जनपद देहरादून के ग्राम खारसी. के खाता संख्या 196 के खसरा नं0 549 रकबा 44.350है0 मध्ये 7.10है0 श्रेणी 5–3(ड) अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को हस्तान्तरण हेतु प्रस्तावित की गयी है।

अतएव इस कार्यालय के पत्र संख्या–1141 /12ए–153(2014–17)/डी.एल.आर.सी. /2015 दिनांक 18.01.2016 द्वारा पूर्व में आवंटित ग्राम खारसी के खाता सं0 पुराना–193 नया 196 के खसरा नं0 2336 रकबा 61.00है0 में से 7.10है0 भूमि से वन विभाग का नाम निरस्त करते हुए शासनादेश संख्या–496/18(2)/2020–09(63)/2016 दिनांक 28 जुलाई 2020 शासनादेश संख्या 111/XXVII (7)50(39)–2015/2014–वित्त (वे0अ0–सा0नि0) अनुभाग–7 दिनांक 09 जुलाई, 2015 तथा शासनादेश संख्या–1887/XVII(II)/2015–18 (169)/2015 दिनांक 30 जुलाई, 2015 तथा शासनादेश संख्या–260 /वित्त अनुभाग–3/2022 दिनांक 15 फरवरी 2002 की शर्तो एवं प्राविधानों के अन्तर्गत एवं उल्लिखित शासनादेशों में वर्णित व्यवस्थानुसार/शर्तानुसार ग्राम खारसी. के खाता संख्या 196 के खसरा नं0 549 रकबा 44.350है0 में से 7.10है0 श्रेणी 5–3(ड) अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु **वन विभाग उत्तराखण्ड** के पक्ष में निम्नांकित शर्तो के अनुसार आवंटित/हस्तान्तरित की जाती है।

1– भूमि का हस्तांतरण बिना मूल्य लिये किया जायेगा। वन मामलों में भूमि के नजराना मूल्य की सीमा पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा।

2– जिस परियोजना के लिए भूमि हस्तांतरण की जा रही है, वह एक अनुमोदित परियोजना हो और उसके लिए आवश्यक प्राविधान किया जा चुका हो, तथा केवल उतनी ही भूमि का हस्तांतरण किया जाये जितना कार्य विशेष के लिए आवश्यक हो।

3– भूमि पर कोई धार्मिक अथवा ऐतिहासिक महत्व की इमारत नहीं होनी चाहिए।

4– यदि भूमि वन विभाग की रक्षित भूमि हो, तो वह हस्तांतरण के बाद भी रक्षित वन भूमि बनी रहेगी। रक्षित वन भूमि के हस्तांतरण से सम्बन्धित ग्राम वासियों की कोई आपत्ति न हो और हस्तांतरित भूमि के उपयोग करने में साथ में लगी हुई वन भूमि और वन सम्पदा को कोई हानि नहीं करायी जायेगी।

5– वन विभाग दूसरे सेवा विभाग से हस्तांतरित भूमि का कोई मूल्य नहीं लेगा, लेकिन यदि उस भूमि पर पेड़ इत्यादि अन्य वन सम्पदा हो तो प्राप्त कर्ता विभाग द्वारा वन विभाग को उक्त वन सम्पदा का मूल्य भुगतान करना होगा।

6– हस्तांतरित भूमि यदि प्रस्तावित कार्य से भिन्न प्रयोजन के लिए उपयोग की जाती है तो याचक विभाग द्वारा पुनः आवेदन प्रस्तुत करना होगा। यदि हस्तांतरित भूमि की आवश्यकता न हो या तीन वर्षों तक हस्तांतरित भूमि प्रस्तावित कार्य के लिए उपयोग में नहीं लाई जाती है तो उसे मूल विभाग (राजस्व विभाग) को वापस करना होगा।

7– यह आदेश मा0 उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय एवं उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत आदेशों के अधीन होगा तथा याचक विभाग को निर्गत आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।

8– उत्तराखण्ड राज्य में स्थित सरकारी भूमि क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु निःशुल्क भूमि हस्तांतरण से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि भूमि पर जिस राजकीय विभाग का स्वामित्व है, उसकी सहमति/अनापत्ति लिखित रूप से प्राप्त कर ली जाये।

उपरोक्त शर्तों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

(हस्ताक्षर)
(सोनिका)
जिलाधिकारी,
देहरादून।

कार्यालय जिलाधिकारी, देहरादून।

संख्या: 846/12ए–153 (2020–2023)डी.एल.आर.सी. दिनांक 31 जनवरी सितम्बर, 2022

प्रतिलिपि:– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– सचिव, राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

2– आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।

3– आयुक्त गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

4– उप जिलाधिकारी, चकराता, जनपद देहरादून को इस निर्देश के साथ कि प्रश्नगत भूमि का कब्जा याचक विभाग को हस्तगत करते हुए अग्रेतर/अग्रिम आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

5– अधिशासी अभियन्ता, पी.एम.जी.एस.वाई. सिंचाई खण्ड,6–इन्दिरा नगर, देहरादून।

1-वर्ष 2020-23
2-विभाग XII A
3-फाईल नं० 153
4-क्रमांक 846
5-रजिस्टर नं० 1

(हस्ताक्षर)
जिलाधिकारी,
देहरादून।
01/C

02/02/23

dfo_chakrata_uta@yahoo.co.in
टैली, फैक्स नं0–01360–275078

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, चकराता वन प्रभाग, चकराता।

पत्रांक– 5826 / 12–1 दिनांक, चकराता 29 मई 2023

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड,
6–इन्दिरा नगर, देहरादून।

पी.एम.जी.एस.वाई. आवती नं. 628 दिनांक 12-6-2023 सिंचाई खण्ड, देहरादून

विषय :– जनपद–देहरादून में पी.एम.जी.एस.वाई. के अन्तर्गत ग्राम–पुरूकुल गांव भितरली / किमाड़ी मोटर मार्ग हेतु 3.528 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्र विकास विभाग को प्रत्यावर्तन। प्रस्ताव सं0–(FP/UK/ROAD/20710/2016)

संदर्भ :– आपका कार्यालय पत्रांक–453 दिनॉक 02.05.2023

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र के कम में अवगत कराना है कि जिलाधिकारी, देहरादून की पत्र संख्या–846 / 12–ए–153(2020–23) डी.एल.आर.सी. दिनॉक 31.01.2023 से विषयगत मोटर मार्ग के निर्माण हेतु चिन्हित 3.528 है0 भूमि के बदले क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ग्राम–खारसी, तहसील–चकराता की खतौनी खाता सं0–196 के खसरा नं0–549 रकबा 44.350 है0 में से 7.10 है0 श्रेणी 5–3(ड) अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि वन विभाग के पक्ष में कतिपय शर्तो के अधीन आंवटित / हस्तान्तरित की गई हैं। जिलाधिकारी, देहरादून के उक्त पत्र से आवंटित भूमि 7.10 है0 क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है या नही, के सम्बन्ध में सम्बन्धित वन क्षेत्राधिकारी से स्थलीय निरीक्षण करवाया गया। वन क्षेत्राधिकारी, रिखनाड राजि ने अपने पत्र सं0–850 / 12 दिनॉक 04.05.2023 (संलग्नक–1) से अवगत कराया गया कि ग्राम–खारसी, तहसील–चकराता की खतौनी खाता सं0–196 के खसरा नं0–549 रकबा 44.350 है0 में से मात्र 2.00 है0 भूमि वृक्षारोपण हेतु योग्य है इसके अतिरिक्त शेष भूमि पथरीली एवं ढंगारी है, जो वृक्षारोपण हेतु योग्य नही है।

अतः आप अपने स्तर से जिलाधिकारी, देहरादून को वस्तुस्थिति से अवगत कराते हुये अन्यत्र भूमि, जो क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त हो, को प्रभाग के नाम आंवटित / हस्तान्तरित करवाने का कष्ट करें।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार

भवदीया
(कल्याणी)
प्रभागीय वनाधिकारी,
चकराता वन प्रभाग, चकराता

संख्या एवं दिनॉक उपरोक्तानुसार
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–
1–ज़िलाधिकारी, देहरादून।
2–उप जिलाधिकारी, चकराता।
3–वन क्षेत्राधिकारी, रिखनाड राजि।

(कल्याणी)
प्रभागीय वनाधिकारी,
चकराता वन प्रभाग, चकराता

dfo_chakrata_uta@yahoo.co.in
टेली, फैक्स सं0–01360–275078

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, चकराता वन प्रभाग, चकराता

पत्रांकः– 4454 / 12-1 चकराता, दिनांक 31 मई 2022

सेवा में,

उप जिलाधिकारी,
चकराता।

विषयः– जनपद–देहरादून में पी.एम.जी.एस.वाई. के अन्तर्गत ग्राम–पुरूकुल गॉव से भितरली–किनाड़ी मोटर मार्ग हेतु 3.528 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन। प्रस्ताव सं0–(FP/UK/ROAD/20710/2016)

संदर्भ :– इस कार्यालय का पत्रांक–1114 / 12–1 दि0 07.10.2021

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के कम में अवगत कराना है कि ग्राम–पुरूकुल गॉव से भितरली–किनाड़ी मोटर मार्ग निर्माण हेतु प्रत्यावर्तित भूमि के बदले जिलाधिकारी, देहरादून को पत्र सं0–1141 / 12ए–153(2014–17) / डी0एल0आर0सी0 / 2015 दि0 18.01.2016 के अनुसार ग्राम–खारसी के खाता सं0–000193 के खसरा सं0 2336 रकबा 61.00 है0 में से 7.10 है0 भूमि अन्तर्गत श्रेणी–5(3)ड–अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि को क्षतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्र वन विभाग उत्तराखण्ड शासन के नाम दर्ज किया गया था। जिसका संयुक्त निरीक्षण सम्बन्धित वन क्षेत्राधिकारी, रिखनाड़ राजि द्वारा करवाया गया। वन क्षेत्राधिकारी, रिखनाड राजि ने अपने पत्रांक–211 / 12 दि0 30.09.2021 से अवगत कराया कि राजस्व उप निरीक्षक / पटवारी खारसी क्षेत्र व ग्राम प्रधान खारसी के साथ संयुक्त निरीक्षण दि0 16.09.2021 को किया गया। संयुक्त निरीक्षण के दौरान राजस्व उप निरीक्षक / पटवारी खारसी क्षेत्र द्वारा अवगत कराया गया कि वन विभाग उत्तराखण्ड को हस्तान्तरित वन भूमि खसरा सं0–2336 में ग्राम खारसी एवं ग्राम थणता का सीमा विवाद चल रहा है एवं इस भूमि पर विगत वर्षो में वनीकरण कार्य भी किये गये हैं। जब तक उक्त ग्रामों का सीमा विवाद सुलझ नही जाता है तब तक उक्त भूमि पर वृक्षारोपण आदि कार्य किया जाना सम्भव नही है। अतः उक्त स्थिति से आप अपने स्तर से जिलाधिकारी महोदय देहरादून को अवगत कराते हुये क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ग्राम–खारसी के खाता सं0–000193 के खसरा सं0 2336 रकबा 61.00 है0 में से 7.10 है0 भूमि अन्तर्गत श्रेणी–5(3)ड–अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि के बदले किसी अन्य स्थान का चयन कर जो वनीकरण हेतु उपयुक्त हो 7.10 है0 सिविल सोयम भूमि को प्रभाग के नाम नामान्तरित / हस्तान्तरित करवाने का कष्ट करें।

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी,
चकराता वन प्रभाग, चकराता

पत्रांकः– 4454 / 12-1 उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि–
1–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2–प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी वन प्रभाग, मसूरी को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ प्रेषित।
3–अधिशासी अभियन्ता, पी.एम.जी.एस.वाई. सिंचाई खण्ड, देहरादून को सूचनार्थ एवं उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी,

Cont... +91-135-... ...rediffmail.com

कार्यालय उप वन संरक्षक, मसूरी वन प्रभाग, मसूरी

Email: dfo_mussoorie@rediffmail.com Phone/Fax-0135-2631765

पी.एम.जी.एस.वाई., सिंचाई खण्ड, प्राप्ति सं. /01, दिनांक 18/01/24

पत्रांक- 2351 / 12-1 मसूरी, दिनांक- 09/ 01 / 2024

सेवा मे,

अधिशासी अभियन्ता,
पी.एम.जी.एस.वाई., सिंचाई खण्ड,
देहरादून।

विषय :- **जनपद देहरादून में पुरूकुल गांव से भितरली-किमाड़ी मोटर मार्ग हेतु 3.528 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन प्रस्ताव के एवज में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु भूमि उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।**

सन्दर्भ:- आपके कार्यालय का पत्रांक- 913/पी.एम.जी.एस.वाई./सिं.ख.-दे.दून, दिनांक-30-08-2023 एवं रेंज अधिकारी, मसूरी रेंज का पत्रांक-977/12-1, दिनांक-29.12.2023।

महोदय,

उपरोक्त विषयांकित प्रकरण में क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित क्षेत्र वृक्षारोपण हेतु अनुपयुक्त है, जिसके कारण प्रकरण में भारत सरकार द्वारा निर्गत सैद्धांतिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या भारत सरकार को उपलब्ध नहीं करायी जा सकी है। उपरोक्त के क्रम में मसूरी वन प्रभाग के अन्तर्गत मसूरी रेंज में मोटीधार कक्ष सं० 7.10 है० क्षेत्र क्षतिपूरक वनीकरण हेतु उपयुक्त पाया गया है।

अत: आपको निर्देशित किया जाता है कि रेंज स्तर से समन्वय स्थापित कर उक्त क्षेत्र का डिजीटल एवं GIS मैप, क्षतिपूरक वनीकरण योजना एवं उसका 10 वर्ष तक रखरखाव, उपयुक्तता प्रमाण पत्र तैयार करते हुए सैद्धांतिक स्वीकृति की अनुपालना के साथ प्रस्तुत करने का कष्ट करें, ताकि परिपूर्ण अनुपालन आख्या उच्च स्तर को प्रेषित की जा सके।

उप वन संरक्षक
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी

<u>संख्या : ..../12-1, तद् दिनांकित</u>

प्रतिलिपि : - रेंज अधिकारी, मसूरी रेंज को उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उप वन संरक्षक
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी

D/ ... EE 18/1/24

कार्यालय, प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी वन प्रभाग, मसूरी

पत्रांक–[illegible]/12–1, दिनांक मसूरी, [illegible] 2020।

सेवा में,

प्रधिशासी अभियन्ता,
पी०एम०जी०एस०वाई० सिंचाई खण्ड
देहरादून।

विषय: जनपद देहरादून प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत [illegible] मोटर मार्ग (कुल लम्बाई 10.400 कि०मी०) के नव निर्माण हेतु 1.528 है० वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत गैर वानिकी कार्यों हेतु पी०एम०जी०एस०वाई० सिंचाई खण्ड को प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव। प्रस्ताव सं० FP UK ROAD 20710 2016

सन्दर्भ: आपकी पत्र सं० 305 /पी०एम०जी०एस०वाई०/सिं०ख० दे०दून/वन भूमि, दिनांक 05 05 2020

महोदय,

विषयांकित प्रकरण में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के पत्र संख्या [illegible] 06 120 2018/एफ.सी./23 दिनांक 02 05 2020 द्वारा कतिपय शर्तों के अधीन [illegible] सैद्धान्तिक स्वीकृति में आरोपित शर्तों के अनुपालन में विषयांकित मोटर मार्ग के निर्माण हेतु प्रस्तावित [illegible] द्वारा निर्धारित देय धनराशियों का [illegible] विवरण निम्न प्रकार है:

क्र० सं०	कार्य का विवरण	क्षेत्रफल (है० में)/पौध	दर	देय धनराशि
	चकराता वन प्रभाग के अन्तर्गत ग्राम–खारसी सिविल सोयम भूमि खसरा नं0 2336 में क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव।	7.056है0	3,37,184.00/है0	23,79,170.00
	एन०पी०वी०	3.528 है0	8,45,000.00/है0	29,81,160.00
		योग :–		53,60,330.00

अतः उक्तानुसार आनलाईन चालान जनरेट कर देय धनराशि /धनराशियों के भुगतान हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या 1 व 2 तथा अन्य शर्तों 3, 4, एवं 5 की अनुपालन आख्या मय संलग्नकों सहित [illegible] अनुपालन आख्या तीन प्रतियों में अग्रेतर कार्यवाही हेतु इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्न –उक्तानुसार।

भवदीया

(कहकशा नसीम)
प्रभागीय वनाधिकारी,
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।

पत्रांक [illegible] /दिनांकित।

प्रतिलिपि – अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फोरेस्ट कालोनी, देहरादून को विषयांकित क्रम में सादर प्रेषित।

प्रतिलिपि – प्रभागीय वनाधिकारी, चकराता वन प्रभाग, चकराता को भारत सरकार द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति की प्रति इस आशय से प्रेषित कि कृपया सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त सं0 3(क), (ख) की अनुपालन आख्या [illegible] तीन तीन प्रतियों में अग्रेतर कार्यवाही हेतु इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(क) प्रस्तावित वन भूमि के दुगने अर्थात 7.056है0 ग्राम खारसी सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि(वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) प्राक्कलन की प्रति।

(ख) उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है अतः इस वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किए जाने सम्बन्धी जिलाधिकारी देहरादून के आदेश की प्रति एवं खतौनी की मूल प्रति।

(कहकशा नसीम)
प्रभागीय वनाधिकारी,
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।

AGENCY COPY

यूनियन बैंक Union Bank

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date 04-08-2020

Agency Name	PMGSY ID DEHRADUN
Application No	6120710750
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/120/2018/FC/23
Location	UTTARANCHAL
Address	Executive Engineer, PMGSY, Irrigation Division, 6, Indira Nagar, Kanwali Road, DehradunDehradun
Amount(in Rs)	5360330/-

Amount in Words Fifty-Three Lakh Sixty Thousand Three Hundred and Thirty Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	N/A
Pay to Account No.	Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	N/A

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

BANK COPY

यूनियन बैंक Union Bank

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 04-08-2020

Agency Name	PMGSY ID DEHRADUN
Application No.	6120710750
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/120/2018/FC/23
Location.	UTTARANCHAL
Address:	Executive Engineer, PMGSY, Irrigation Division, 6, Indira Nagar, Kanwali Road, Dehradun Dehradun
Amount(in Rs)	5360330/-

Amount in Words Fifty-Three Lakh Sixty Thousand Three Hundred and Thirty Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	N/A
Pay to Account No.	Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	N/A

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through Email: helpdeskcampa@corpbank.co.in

Note After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date to Email: cb0371@unionbankofindia.com

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

कार्यालय
अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0,
सिंचाई खण्ड, देहरादून

Contact No:- +91-135-2769738
Fax: +91-135-2769738
email: eepmgsydehradun@rediffmail.com

पत्रांक 190 /पी.एम.जी.एस.वाई./सिं.ख.–दे.दून/ दिनांक 13/12/2024

सेवा में,

उप वन संरक्षक,
अनुश्रवण, मूल्यांकन, आई0टी0 एवं आधुनिकीकरण,
उत्तराखण्ड, देहरादून

विषयः– जनपद देहरादून में पुरुकुल गांव से भितरली–किमाडी मोटर मार्ग हेतु 3.528 है0 वन भूमि का गैरवानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन प्रस्ताव संख्या (FP/UK/ROAD/ 20710/2016) के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– कार्यालय उप वन संरक्षक, मसूरी वन प्रभाग मसूरी का पत्रांक 2351/12–1 मसूरी, दिनांक 09.01.2024

महोदय,

उपरोक्त विषयक एवं सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें जिसमें पुरुकुल से भितरली–किमाडी मोटर मार्ग के क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु मसूरी वन प्रभाग के अन्तर्गत मसूरी रेंज में मोटीधार कक्ष संख्या 7.10 है0 भूमि चयनित की गयी है (जीपीएस प्वाइंट $30^0$25'51.54"N $78^0$8'32.91E, $30^0$25'51.20"N $78^0$8'39.49E, $30^0$25'50.04"N $78^0$8'40.03E, $30^0$25'50.04"N $78^0$8'40.03E, $30^0$25'47.66"N $78^0$8'31.64E, $30^0$25'50.82"N $78^0$8'47.68E, $30^0$25'44.96"N $78^0$8'41.00E)

अतः महोदय से निवदेन है कि उक्त चयनित 7.10 हेक्टयेर भूमि की KML File, डिजटिल एवं जियो रिफरेन्स, गूगल मानचित्र उपलब्ध करवाने की कृपा करें। उक्त को उपलब्ध कराने हेतु भुगतान डी0एफ0ओ0 देहरादून के नाम रू0 5000.00 (पांच हजार मात्र) का ड्राफ्ट (ड्राफ्ट संख्या 760630) दिनांक 05.02.2024 भारतीय स्टेट बैंक ब्राच सी0एस0 आई0टी0आई0 देहरादून के द्वारा जमा किया जा रहा है।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड,
6–इन्दिरा नगर, देहरादून।

पत्रांक /पी.एम.जी.एस.वाई./सिं.ख.–दे.दून/तदिनांक

प्रतिलिपि–

1. मुख्य अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0 (ग0क्षे0) देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।
2. मुख्य विकास अधिकारी देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।
3. अधीक्षण अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0 वृत्त, लो0नि0वि0, मसूरी को सूचनार्थ प्रेषित।
4. सहायक अभियन्ता–पंचम पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड देहरादून को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि उक्त कार्य हेतु व्यक्तिगत रूप से सम्बन्धित कार्यालय से सम्पर्क करना सुनिश्चित करें।

अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड,
6–इन्दिरा नगर, देहरादून।

CamScanner

भारतीय स्टेट बैंक
जारी करने वाली State Bank of India
Issuing Branch: CS ITI, DEHRADUN
कोड सं /CODE No: 10632
Tel No. 0135-2621340

माँगड्राफ्ट
DEMAND DRAFT

Key: WIC10Z
Sr. No 146615

0 5 0 2 2 0 2 4
D D M M Y Y Y Y

माँगे जाने पर D.F.O DEHRADUN .... या उनके आदेश पर
ON DEMAND PAY OR ORDER

रुपये RUPEES Five Thousand Only

अदा करें ₹ 5000.00

IOI 0-04447608[illegible]
Name of Applicant: KAVITA SHAH

Key: WIC8OZ Sr. No: 146615

AMOUNT BELOW 5001(0/4)

मूल्य प्राप्त / VALUE RECEIVED

भारतीय स्टेट बैंक
STATE BANK OF INDIA
[illegible] / DRAWEE BRANCH:DEHRA DUN MAIN BRANCH
कोड सं /CODE No. 00630

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
AUTHORISED SIGNATORY

शाखा प्रबंधक
BRANCH MANAGER
S.S. CHAUDHARY

₹ 1,50,000- एवं अधिक के लिखत दो अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित होने पर ही वैध
INSTRUMENTS FOR ₹ 1,50,000- & ABOVE [illegible] UNLESS SIGNED BY TWO OFFICIALS

कम्प्यूटर द्वारा मुद्रित होने पर ही वैध
VALID ONLY IF COMPUTER PRINTED

केवल 3 महीने के लिए वैध
VALID FOR 3 MONTHS ONLY

MADRAS SECURITY PRINTERS PVT LTD CHENNAI / CTS - 2010

⑈760630⑈ 000002000⑆ 000444⑈ 16

प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड

वन भवन 85/87 राजपुर रोड, देहरादून

दिनांक 20/02/2024

[redacted] 36

...किया अधिशासी अभियन्ता

पी०एम०जी०एस०वाई०, सिंचाई खण्ड, 6-इन्दिरा नगर, देहरादून।

रूपये (शब्दों में) पाँच हजार रुपये मात्र

से बैंक ड्राफ्ट सं०/चैक सं०/नकद 760630

दिनांक 05-02-2024 शाखा SBI Dehradun

भुगतान बावत Geo-ref & Digital map - जनपद देहरादून में पुरुकुल गाँव से भितरली - किमाड़ी मोटर मार्ग हेतु 3.528 है० हेतु।

₹ 5000/-

CamScanner

कार्यालय, प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी वन प्रभाग, मसूरी

पत्रांक–4327/12–1, दिनांकः मसूरी, 12 . . 2020।

सेवा मे,

अधिशासी अभियन्ता,
पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड,
देहरादून।

विषय: जनपद–देहरादून प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत के पुरूकुल गांव से भितरली किमाडी मोटर मार्ग (कुल लम्बाई 10.400 किमी0) के नव निर्माण हेतु 3.528 है0 वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत् गैर वानिकी कार्यो हेतु पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड, को प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव। प्रस्ताव सं0 FP/UK/ROAD/20710/2016.

सन्दर्भ – आपकी पत्र सं0 305 /पी0एम0जी0एस0वाई0/सिं0ख.–दे0दून/वन भूमि, दिनांक 05–05–2020

महोदय,

विषयांकित प्रकरण मे भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून की पत्र संख्या–8बी/यू.सी.पी./06/120/2018/एफ.सी./23 दिनांक 02–05–2020 द्वारा कतिपय शर्तों के अधीन निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति मे अधिरोपित शर्तों के अनुपालन मे विषयांकित मोटर मार्ग के निर्माण हेतु प्रस्तावित प्रत्यावर्तित वन भूमि के [illegible] प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा निर्धारित देय धनराशियों का (संशोधित) विवरण निम्न प्रकार है:

क0 सं0	कार्य का विवरण	क्षेत्रफल (है0 में)/पौध	दर	देय धनराशि
.	चकराता वन प्रभाग के अन्तर्गत ग्राम–खारसी सिविल सोयम भूमि खसरा न0 2336 मे क्षतिपूरक वृक्षारोपण एंव 10 वर्षो तक रखरखाव।	7.056है0	3,37,184.00/है0	23,79,170.00
2	एन0पी0वी0	3.528 है0	8,45,000.00/है0	29,81,160.00
	योग :–			53,60,330.00

अतः उक्तानुसार आनलाईन चालान जनरेट कर देय धनराशि /धनराशियों के भुगतान हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या 1 व 2 तथा अन्य शर्तो 3, 4, एंव 5 की अनुपालन आख्या मय संलग्नकों सहित आनलाईन करते हुए सगत दस्तावेजों /अनुपालन आख्या तीन प्रतियों में अग्रेतर कार्यवाही हेतु इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नः–उक्तानुसार।

भवदीया

(कहकशां नसीम)
प्रभागीय वनाधिकारी,
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।

पत्रांक 4327 /दिनांकित।

प्रतिलिपि – अपर प्रमुख वन संरक्षक एंव नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी उत्तराखण्ड, देहरादून को विषयांकित क्रम मे सादर प्रेषित।

प्रतिलिपि – प्रभागीय वनाधिकारी, चकराता वन प्रभाग, चकराता को भारत सरकार द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति की प्रति इस आशय से प्रेषित कि कृपया सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त सं0 3(क), (ख) की अनुपालन आख्या /अभिलेख निम्नवत (मूल मे) तीन–तीन प्रतियो मे अग्रेतर कार्यवाही हेतु इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करे।

(क) प्रस्तावित वन भूमि के दुगने अर्थात 7.056है0 ग्राम खारसी, सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एंव उसके 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि(वर्तमान दरो को समाहित करते हुए यथासंशोधित) प्राक्कलन की प्रति।

(ख) उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है अतः इस वन विभाग के पक्ष मे हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किए जाने सम्बन्धी जिलाधिकारी, देहरादून के आदेश की प्रति एवं खतौनी की मूल प्रति।

R/c Forest File C.R. 15/05/2020

(कहकशां नसीम)
प्रभागीय वनाधिकारी,
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।

AGENCY COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India

Andhra | Corporation

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 04-08-2020

Agency Name.	PMGSY ID DEHRADUN
Application No.	6120710750
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/120/2018/FC/23
Location.	UTTARANCHAL
Address.	Executive Engineer, PMGSY, Irrigation Division, 6, Indira Nagar, Kanwali Road, DehradunDehradun
Amount(in Rs)	5360330/-

Amount in Words :Fifty-Three Lakh Sixty Thousand Three Hundred and Thirty Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	N/A
Pay to Account No.	Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	N/A

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

BANK COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India

Andhra | Corporation

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 04-08-2020

Agency Name.	PMGSY ID DEHRADUN
Application No.	6120710750
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/120/2018/FC/23
Location.	UTTARANCHAL
Address:	Executive Engineer, PMGSY, Irrigation Division, 6, Indira Nagar, Kanwali Road, Dehradun Dehradun
Amount(in Rs)	5360330/-

Amount in Words :Fifty-Three Lakh Sixty Thousand Three Hundred and Thirty Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	N/A
Pay to Account No.	Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	N/A

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through Email: helpdeskcampa@corpbank.co.in

Note:After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date to Email: cb0371@unionbankofindia.com

PARIVESH
परिवेश
Active and Responsive facilitation by Interactive, Virtuous and Environmental Singlewindow Hub

Ministry of Environment, Forest and Climate Change
Government of India

My Account ▾ My Proposals Environment Clearance ▾ Only CRZ Clearance ▾ My Proposals Forest Clearance ▾ My Proposals Wildlife Clearance ▾ Help ▾

Online payment history made by User Agency under CAMPA

Help

Proposal Detail	Application_No	Application No (New)	Date of IN-PRINCIPLE	Amount to be Paid/Amount Paid (in Rs.)				Payment Status	Payment Detail	
[illegible] MP	FCA0156915202257[illegible]	61156915574	23 Nov 2023	CA: PCA: Safety Zone: NPV: na : na : na : Total :	3787796/- 0/- 0/- 5455827/- 0/- 0/- 0/- 9243623/-	Addl CA : CAT : Addl PA : na :	0/- 0/- 0/- 0/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On Bank Name Mode of Payment Challan Generated On Transaction Date	: 08 Dec 2023 : Union Bank Of India : NEFT/RTGS (Challan) : 08 Dec 2023 : 19 Dec 2023
[illegible] MP	FCA0207102016750	6120710750	02 May 2020	CA: PCA: Safety Zone: NPV: Other Charges1 : Other Charges2 : Other Charges3 : Total :	2379170/- 0/- 0/- 2981160/- 0/- 0/- 0/- 5360330/-	Addl CA : CAT : Addl PA : Other Charges :	0/- 0/- 0/- 0/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On Bank Name Mode of Payment Challan Generated On Transaction Date	: 16 May 2020 : Corporation Bank : NEFT/RTGS (Challan) : 04 Aug 2020 : 06 Aug 2020

(vi)

॥ प्रकृतिः रक्षति रक्षिता ॥

कार्यालय उप वन संरक्षक, मसूरी वन प्रभाग, मसूरी

Email: dfo_mussoorie@rediffmail.com Phone/Fax-0135-2631765

पत्रांक- 5184 / 12–1 मसूरी, दिनांक- 28 / 03 / 2022

सेवा में,

वन संरक्षक,
यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

विषय :- जनपद देहरादून के विकासखण्ड सहसपुर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, पुरूकुल गांव से भितरली–किमाड़ी मोटर मार्ग हेतु 3.528 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन। (FP/UK/ROAD/20710/2016)

सन्दर्भ :- 1– भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तरी–मध्य क्षेत्र) का पत्र संख्या–08बी0 / यू0सी0पी0 / 06 / 120 / 2018 / एफ0सी0 / 23, दिनांक–02.05.2020
2– अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून की पत्र संख्या–215 / FP/UK/ROAD/20710/2010, दिनांक–05.03.2022।
3– इस कार्यालय की पत्र संख्या–4807 / 12–1, दिनांक–28.02.2022।
4– इस कार्यालय की पत्र संख्या–2233 / 12–1, दिनांक–11.11.2020।

महोदय,

कृपया उपरोक्त सन्दर्भित पत्रों (छायाप्रति संलग्न) का अवलोकन करने की कृपा करें। भारत सरकार द्वारा विषयांकित प्रकरण में कतिपय शर्तों के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है, जिसकी अनुपालन आख्या इस कार्यालय के पत्र संख्या–2233 / 12–1, दिनांक–11.11.2020 व 4807 / 12–1, दिनांक–28.02.2022 से मय संलग्नको के पूर्व में ही उच्च स्तर को उपलब्ध करायी गयी। अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून के उपर्युक्त सन्दर्भित पत्र से अनुपालन प्रश्न–उत्तर कॉलम में बनाकर प्रेषित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है, जिसके कम में सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की अनुपालन आख्या आपको निम्नवत् प्रेषित है :-

क0 सं0	सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त	अनुपालन आख्या
1-	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।	शर्त संख्या–01 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है कि वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जायेगी। (प्रमाण पत्र संलग्न)
2-	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयौक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जायेगी।	शर्त संख्या–02 के अनुपालन में प्रयौक्ता एजेन्सी द्वारा परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयौक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी (प्रमाण पत्र संलग्न)।
3-	प्रतिपूरक वनीकरण : क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 7.056 है0 सिविल भूमि ग्राम खारसी सिविल खसरा नं0 2336 में प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल कृषि से बचें।	शर्त संख्या–3(क) के अनुपालन प्रभागीय वनधिकारी, चकराता वन प्रभाग, कालसी द्वारा सुनिश्चित किया जाना है।

	ख) गैर वानिकी भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित एवं रूपांतरित किया जायेगा। भूमि के हस्तान्तरण, नामान्तरण एवं Notification करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी। guidline para 2.4 (i) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व से बाहर है एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावों में प्रस्तुत किये गये है, को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अन्तर्गत विधिवत् स्वीकृति से पूर्व आरक्षित/ संरक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक है।	शर्त संख्या–3 (ख) के अनुपालन में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु चयनित सिविल सोयम भूमि ग्राम खारसी सिविल के खाता संख्या–00196 के खसरा नं0 2336 कुल रक्बा 61.00 में से 7.1 हे0 भूमि अन्तर्गत श्रेणी 5(3)ङ–अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि को उत्तराखण्ड वन विभाग के पक्ष में नामान्तरित किये जाने के आदेश जिलाधिकारी, देहरादून का पत्र संख्या–1141/12ए–143(2014–17)/डी0एल0आर0सी /2015, दिनांक– 18.01.2016 द्वारा किये गये हैं। उक्त आदेश की प्रति तथा खाता–खतौनी संलग्न कर नोडल कार्यालय को इस कार्यालय के पत्र संख्या–2233/12–1, दिनांक–11.11.2020 से उपलब्ध करा दिये गये हैं।
4-	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षो तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यो के लिए प्रत्याशित लागत वृद्वि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते है।	शर्त संख्या–04 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण एवं 10 वर्षो तक अनुरक्षण हेतु रू0 23,79,170.00 (तेईस लाख उनासी हजार एक सौ सत्तर रुपये मात्र) की धनराशि वन विभाग के पक्ष में जमा कर दी गयी है।
5-	शर्त संख्या–05(क) भारत के सर्वोच्च न्यायालय के WP(C) सख्याः 202/1995 में IA नंबर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24. 04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5–1/1998–एफ0सी0 (Pt.2) दिनांक 18. 09.2003, 5–2/2006 एफ0सी0 दिनांक 03.10. 2006 एवं 5–3/2007 एफ0सी0, दिनांक 05.02. 2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 3.528 है0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।	शर्त संख्या–05(क) के अनुपालन अनुपालन में प्रस्तावित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की धनराशि रू0 29,81,160.00 (उनतीस लाख इक्यासी हजार एक सौ साठ रूपये मात्र) की धनराशि वन विभाग के पक्ष में जमा कर दी गयी है।
	(ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अन्तिम रू‍प देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा।	शर्त संख्या–05(ख) के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा दिया गया इस आशय की वचनबद्धता का प्रमाण–पत्र संलग्न है कि सक्षम स्तर से शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोतरी होती है, जो बढ़ी दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। (प्रमाण पत्र संलग्न)
6-	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ो की कटाई न्यूनतम कर देगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार मसूरी वन प्रभाग में 158 होगी एवं पेड़ राज्य वन विभागके सख्त पर्यवेक्षण में	शर्त संख्या 06 के अनुपालन में प्रत्यावर्तित वन भूमि में क्षेत्रीय वन कर्मियों के सख्त पर्यवेक्षण में न्यूनतम पेड़ो का पातन किया जायेगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के

	कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ो की कटाई की लागत जगा की जायेगी।	अनुसार 158 है।
7-	DFO will submit an undertaking that no plantation has been done in the past in CA area.	शर्त संख्या 07 के कम मे अवगत कराना है कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्र चकराता वन प्रभाग के कार्य क्षेत्रान्तर्गत है, अतः इस शर्त का अनुपालन प्रभागीय वनाधिकारी, चकराता वन प्रभाग, कालसी द्वारा सुनिश्चित किया जाना है।
8-	State govt. Will inform this office if they pass any order for tree cutting and commencement of work before stage-II approval as pas guidelines para 11.2. The State Govt. will strictly moniter and ensure that no further activity carried out under such permission after the expiry of one year from the date of issue of such permission.	शर्त संख्या 08 के कम में अवगत कराना है कि यदि विधिवत् स्वीकृति से पूर्व प्रभाग स्तर वृक्षों के पातन एवं कार्य करने की अनुमति प्रदान की जाती है, तो उच्च स्तर को उक्त सूचना प्रेषित की जायेगी, तथा यह अनुमति एक साल के लिए ही वैद्य होगी, इस अनुमति की वैद्यता समाप्त होने जाने के पश्चात् विधिवत् स्वीकृति से पूर्व कोई भी निर्माण कार्य नहीं किया जायेगा, इस सम्बन्ध में प्रस्तावक विभाग द्वारा भी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है, जो कि संलग्न कर प्रेषित है।
9-	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई-पोर्टल (**https://parivesh.nic.in/**) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित किए जाएंगे।	शर्त संख्या 09 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा सभी निधियों की कुल रू0 53,60,330.00 (तिरपन लाख साठ हजार तीन सौ तीस रूपये मात्र) की धनराशि (**https://parivesh.nic.in/**) के माध्यम से प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण (कैम्पा) में NEFT/RTGS चालान के माध्यम से जमा की गयी है, जिसकी रसीद संलग्न है।
10-	एफआरए, 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।	शर्त संख्या 10 के अनुपालन मे प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा अपने पत्र में उल्लेख किया है कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 का पूर्ण अनुपालन जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा, जो कि संलग्न किये गये हैं।
11-	प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी मानदंडों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों एवं उसके बीचों बीच पौधों की संख्या बढ़ाएगा।	शर्त संख्या 11 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण अभिकरण द्वारा दिया गया इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न है कि आई0आर0सी के मानदंडो के अनुसार सड़क के दोनो किनारों पर पेड़ों की संख्या बढाई जायेगी।
12-	संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साईनेज लगाए जाएंगे।	शर्त संख्या 12 के अनुपालन मे प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का प्रमाण संलग्न किया है कि संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाए जायेंगे।
13-	CWLW/NBWL/FC/IRC की सिफारिशों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण संरक्षित क्षेत्र ध्वन में उपयुक्त अंडर/ओवर पास प्रदान करेगा।	शर्त संख्या 13 के अनुपालन में में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है कि CWLW/NBWL/FC/IRC की सिफारिशों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण संरक्षित क्षेत्रों में संरक्षित क्षेत्र ध्वन क्षेत्र में उपयुक्त अंडर/ओवर पास प्रदान किये जायेंगे।

14-	पर्यायरण (रांरक्षण) अधिनियम, 1000 को प्रावधानों के अनुरार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करेगा।	शर्त रांख्या 14 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा दिया गया इरा आशय का प्रमाण पत्र रांलग्न है कि पर्यावरण (रांरक्षण) अधिनियम, 1080 के प्रावधानों के अनुरार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करेगा।
15-	केन्द्र रारकार की पूर्वानुगति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जायेगा।	शर्त रांख्या 15 के अनुपालन में अभिकरण द्वारा इरा आशय का प्रमाण पत्र रांलग्न किया गया है कि केन्द्र रारकार की पूर्वानुगति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जायेगा।
16-	वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।	शर्त रांख्या 16 के अनुपालन में वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नही किया जाएगा, जिरा राम्बन्ध में प्रस्तावक विभाग द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र रांलग्न है।
17-	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा गजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानुनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।	शर्त संख्या 17 के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा इस आशय का प्रमाण संलग्न किया है कि गजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकेल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी,विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जायेगां।
18-	संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जाएगा।	शर्त संख्या 18 के अनुपालन में संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जाएगा, इस सम्बन्ध में प्रस्तावक विभाग द्वारा उपलब्ध कराया गया प्रमाण पत्र संलग्न है।
19-	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।	शर्त संख्या 19 के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा उपलब्ध कराया गया इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न है कि परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।
20-	इस अनुमोदन में प्रत्यावर्तन की अवधि को प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में मिली लीज की अवधि के साथ अथवा परियोजना की पूर्ण अवधि के साथ, जो भी कम हो, लक्षित किया जाएगा।	शर्त संख्या 20 के अनुपालन में इस अनुमोदन में प्रत्यावर्तन की अवधि को प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में मिली लीज की अवधि के साथ अथवा परियोजना की पूर्ण अवधि के साथ जो भी कम हो, लक्षित किया जाएगा। प्रमाण पत्र संलग्न है।
21-	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव मे विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।	शर्त संख्या 21 के अनुपालन में वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन नहीं की जाएगी। प्रमाण पत्र संलग्न है।
22-	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियो, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जाएगी।	शर्त संख्या 22 के अनुपालन में केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नही की जाएगी। इस सम्बन्ध में प्रस्तावक विभाग द्वारा उपलब्ध कराया गया प्रमाण पत्र संलग्न है।

23-	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशा निर्देश फाईल संख्या 11–42/2017–FC दिनांक–29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्रवाई होगी।	शर्त संख्या 23 के अनुपालन में इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशा–निर्देश फाईल संख्या 11–42/2017.FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्रवाई होगी। इस शर्त का अनुपालन प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा किया जाएगा।
24-	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्ते लागू होंगी।	शर्त संख्या 24 के अनुपालन में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्ते लागू होंगी। इस शर्त का अनुपालन प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा किया जाएगा।
25-	अनुपालना ई–पोर्टल (https://parivesh.nic.in/) पर अपलोड की जाएगी।	शर्त संख्या 25 के अनुपालन मे अनुपालना रिपोर्ट ई–पोर्टल (https://parivesh.nic.in/) पर अपलोड कर दी गयी है।

महोदय, उक्त शर्तो से सम्बन्धित प्रमाण पत्र पूर्व में ही तीन प्रतियों में संलग्न कर नोडल कार्यालय को उपलब्ध कराया जा चुका है। पुनः दो प्रतियों में उक्त प्रमाण पत्रों की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। कृपया विषयांकित प्रकरण में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति निर्गत करने हेतु अग्रिम आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

<u>संलग्नकः– यथोपरि (दो प्रतियों में)</u>

भवदीया,

(कहकशां नसीम)
प्रभागीय वनाधिकारी,
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी

संख्याः– 5184/12–1, तद्‌दिनांकित।

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कॉलोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. प्रभागीय वनाधिकारी चकराता वन प्रभाग,कालसी को उपरिलिखित शर्त सख्या–3 एवं 7के क्रम में अनुपालनार्थ प्रेषित।
3. अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड इन्दिरानगर देहरादून।

(कहकशां नसीम)
प्रभागीय वनाधिकारी,
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी

(vii)

॥ प्रकृतिः रक्षति रक्षिता ॥

कार्यालय उप वन संरक्षक, मसूरी वन प्रभाग, मसूरी

Email: dfomus-forest-uk@nic.in Phone/Fax-0135-2631765

पत्रांक- 3988 / 12- 1 मसूरी, दिनांक- 06 / 03 / 2021

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
चकराता वन प्रभाग, चकराता।

विषयः– जनपद देहरादून में पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत ग्राम–पुरुकुल गांव से मितरली–किमाड़ी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.528 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन। **(FP/UK/ROAD/20710/2016)**

सन्दर्भ :– आपकी पत्र संख्या–2855 / 12–1, दिनांक–09.02.2021 एवं अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून की पत्र संख्या–1580 / FP/UK/ROAD/20710/2016, दिनांक–04.12.2020।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र से विषयांकित प्रकरण में आपके द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित क्षेत्र ग्राम–खारसी जो कि आपके कार्यक्षेत्रान्तर्गत है, से सम्बन्धित सूचना / दस्तावेज यथा जिलाधिकारी का उक्त क्षेत्र को वन विभाग के पक्ष में नामान्तरण करने का आदेश एवं खसरा–खतौनी की मूल प्रतियां चाही गयी है।

उक्त दस्तावेज प्रस्तावक विभाग अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड, देहरादून के द्वारा अपने पत्र संख्या–199 / पी0एम0जी0एस0वाई0 / सिं0ख0–दे0दून, दिनांक–26.02.2021 से आपको प्रेषित किये गये है। अतः प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही करते हुए नोडल कार्यालय को उनके सन्दर्भित पत्र के अनुपालनार्थ वांछित दस्तावेज उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीया,

(कहकशां नसीम)
उप वन संरक्षक

संख्याः– 3988 / तद्दिनांकित

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. वन संरक्षक, यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड, इन्दिरा नगर, देहरादून।

(कहकशां नसीम)
उप वन संरक्षक

(VIII)

dfo_chakrata_uta@yahoo.co.in
टैली, फैक्स नं0–01360–275078

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, चकराता वन प्रभाग, चकराता

पत्रांकः– 4454 / 12-1 चकराता, दिनांक 31 मई 2022

सेवा में,

उप जिलाधिकारी,
चकराता।

विषयः– जनपद–देहरादून में पी.एम.जी.एस.वाई. के अन्तर्गत ग्राम–पुरूकुल गॉव से भितरली–किमाड़ी मोटर मार्ग हेतु 3.528 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन। प्रस्ताव सं0–(FP/UK/ROAD/20710/2016)

संदर्भ :– इस कार्यालय का पत्रांक–1114 / 12–1 दि0 07.10.2021

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि ग्राम–पुरूकुल गॉव से भितरली–किमाड़ी मोटर मार्ग निर्माण हेतु प्रत्यावर्तित भूमि के बदले जिलाधिकारी, देहरादून को पत्र सं0–1141 / 12ए–153(2014–17) / डी0एल0आर0सी0 / 2015 दि0 18.01.2016 के अनुसार ग्राम–खारसी के खाता सं0–000193 के खसरा सं0 2335 रकबा 61.00 है0 में से 7.10 है0 भूमि अन्तर्गत श्रेणी–5(3)ड–अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि को क्षतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्र वन विभाग उत्तराखण्ड शासन के नाम दर्ज किया गया था। जिसका संयुक्त निरीक्षण सम्बन्धित वन क्षेत्राधिकारी, रिखनाड़ राजि द्वारा करवाया गया। वन क्षेत्राधिकारी, रिखनाड राजि ने अपने पत्रांक–211 / 12 दि0 30.09.2021 से अवगत कराया कि राजस्व उप निरीक्षक / पटवारी खारसी क्षेत्र व ग्राम प्रधान खारसी के साथ संयुक्त निरीक्षण दि0 16.09.2021 को किया गया। संयुक्त निरीक्षण के दौरान राजस्व उप निरीक्षक / पटवारी खारसी क्षेत्र द्वारा अवगत कराया गया कि वन विभाग उत्तराखण्ड को हस्तान्तरित वन भूमि खसरा सं0–2336 में ग्राम खारसी एवं ग्राम थणता का सीमा विवाद चल रहा है एवं इस भूमि पर विगत वर्षो में वनीकरण कार्य भी किये गये है। जब तक उक्त ग्रामों का सीमा विवाद सुलझ नही जाता है तब तक उक्त भूमि पर वृक्षारोपण आदि कार्य किया जाना सम्भव नही है। अतः उक्त स्थिति से आप अपने स्तर से जिलाधिकारी महोदय देहरादून को अवगत कराते हुये क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ग्राम–खारसी के खाता सं0–000193 के खसरा सं0 2336 रकबा 61.00 है0 में से 7.10 है0 भूमि अन्तर्गत श्रेणी–5(3)ड–अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि के बदले किसी अन्य स्थान का चयन कर जो वनीकरण हेतु उपयुक्त हो 7.10 है0 सिविल सोयम भूमि को प्रभाग के नाम नामान्तरित / हस्तान्तरित करवाने का कष्ट करें।

भवदीय,

(हस्ताक्षर)

प्रभागीय वनाधिकारी,
चकराता वन प्रभाग, चकराता

पत्रांकः– 4454 / 12-1 उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि–,

1–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2–प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी वन प्रभाग, मसूरी को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ प्रेषित।
3–अधिशासी अभियन्ता, पी.एम.जी.एस.वाई. सिंचाई खण्ड, देहरादून को सूचनार्थ एवं उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर)

प्रभागीय वनाधिकारी

(ix)

G20

dfo_chakrata_uta@yahoo.co.in
टैली, फैक्स नं0–01360–275078

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, चकराता वन प्रभाग, चकराता।

पंत्राक– 5826 / 12–1 दिनांक, चकराता 21 मई 2023

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड,
6–इन्दिरा नगर, देहरादून।

पी.एम.जी.एस.वाई. सिंचाई खण्ड, देहरादून आवती नं. 628 दिनांक 12-6-2023

विषय :– जनपद–देहरादून में पी.एम.जी.एस.वाई. के अन्तर्गत ग्राम–पुरूकुल गांव भितरली/किमाड़ी मोटर मार्ग हेतु 3.528 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्र विकास विभाग को प्रत्यावर्तन। प्रस्ताव सं0–(FP/UK/ROAD/20710/2016)

संदर्भ :– आपका कार्यालय पत्रांक–453 दिनॉक 02.05.2023

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र के कम में अवगत कराना है कि जिलाधिकारी, देहरादून की पत्र संख्या–846/12–ए–153(2020–23) डी.एल.आर.सी. दिनॉक 31.01.2023 से विषयगत मोटर मार्ग के निर्माण हेतु चिन्हित 3.528 है0 भूमि के बदले क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ग्राम–खारसी, तहसील–चकराता की खतौनी खाता सं0–196 के खसरा नं0–549 रकबा 44.350 है0 में से 7.10 है0 श्रेणी 5–3(ड) अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि वन विभाग के पक्ष में कतिपय शर्तो के अधीन आंवटित/हस्तान्तरित की गई हैं। जिलाधिकारी, देहरादून के उक्त पत्र से आवंटित भूमि 7.10 है0 क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है या नही, के सम्बन्ध में सम्बन्धित वन क्षेत्राधिकारी से स्थलीय निरीक्षण करवाया गया। वन क्षेत्राधिकारी, रिखनाड राजि ने अपने पत्र सं0–850/12 दिनॉक 04.05.2023 (संलग्नक–1) से अवगत कराया गया कि ग्राम–खारसी, तहसील–चकराता की खतौनी खाता सं0–196 के खसरा नं0–549 रकबा 44.350 है0 में से मात्र 2.00 है0 भूमि वृक्षारोपण हेतु योग्य है इसके अतिरिक्त शेष भूमि पथरीली एवं ढंगारी है, जो वृक्षारोपण हेतु योग्य नही है।

अतः आप अपने स्तर से जिलाधिकारी, देहरादून को वस्तुस्थिति से अवगत कराते हुये अन्यत्र भूमि, जो क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त हो, को प्रभाग के नाम आवंटित/हस्तान्तरित करवाने का कष्ट करें।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार

भवदीया

(कल्याणी)
प्रभागीय वनाधिकारी,
चकराता वन प्रभाग, चकराता

संख्या एवं दिनॉक उपरोक्तानुसार
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–
1–जिलाधिकारी, देहरादून।
2–उप जिलाधिकारी, चकराता।
3–वन क्षेत्राधिकारी, रिखनाड राजि।

(कल्याणी)
प्रभागीय वनाधिकारी,
चकराता वन प्रभाग, चकराता

सलग्नक (X)

परियोजना का नाम जनपद देहरादून में पुरकुल गांव से भितरली किमाड़ी मोटर मार्ग हेतु 3.528 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन प्रस्ताव के एवज में मोटीधार क0सं0 4 में 7.10 है0 क्षतिपूरक वृक्षारोपण कार्य की योजना एवं उनका 10 वर्षो तक रखरखाव करना।

क्षतिपूरक वनीकरण योजना

स्थल का विवरण – मोटीधार क0सं0 4

जिला	प्रभाग	रेंज	बीट का नाम	कम्पपर्टमेंट	क्षेत्रफल (हे0 में)
देहरादून	मसूरी	मसूरी रेंज	मोटीधार	मोटीधार क0सं0 4	7.10

वृक्षारोपण मॉडल एवं तकनीकी विवरण

ली जाने वाली प्रजातियां :- जलवायु के अनुरूप स्थानीय स्वदेशी प्रजातियां

कार्यान्वयन एजेन्सी :- वन विभाग

समय :- प्रस्ताव में उच्च स्तर से विधिवत स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त।

रोपण की विधि पौधालय में उगाइ गइ पौध को पहले से खोदे गए गड्ढों में रोपित करना।

वन क्षेत्राधिकारी
मसूरी रेंज
मसूरी वन प्रभाग

जनपद देहरादून में पुरकुल गांव से भितरली किमाड़ी मोटर मार्ग हेतु 3.528 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन प्रस्ताव के एवज में मोटीधार क0सं0 4 में 7.10 है0 क्षतिपूरक वृक्षारोपण कार्य की योजना एवं उनका 10 वर्षो तक रखरखाव करना।

ABSTRACT COST INVOLVED

वर्ष	कार्य का विवरण	धनराशि (रू0में)
प्रथम वर्ष	अग्रिम मृदा कार्य	940090.00
द्वितीय वर्ष	रोपण कार्य	385350.00
तृतीय वर्ष	प्रथम वर्षीय अनुरक्षण	192840.00
चतुर्थ वर्ष	द्वितीय वर्षीय अनुरक्षण	142590.00
पंचम वर्ष	तृतीय वर्षीय अनुरक्षण	89800.00
षष्टम वर्ष	चतुर्थ वर्षीय अनुरक्षण	89800.00
सप्तम वर्ष	पंचम वर्षीय अनुरक्षण	89800.00
अष्टम वर्ष	षष्टम वर्षीय अनुरक्षण	89800.00
नवम वर्ष	सप्तम वर्षीय अनुरक्षण	89800.00
दसम वर्ष	अष्टम वर्षीय अनुरक्षण	89800.00
एकादश वर्ष	नवम वर्षीय अनुरक्षण	89800.00
द्वादश वर्ष	दशम वर्षीय अनुरक्षण	89800.00
योग		2379270.00
Say		**2379170.00**

वन क्षेत्राधिकारी
मसूरी रेंज
मसूरी वन प्रभाग

प्रभागीय वनाधिकारी
मसूरी वन प्रभाग
मसूरी

प्रतिहस्ताक्षरित
उप प्रभागीय वनाधिकारी
देहरादून मसूरी वन प्रभाग
मसूरी

जनपद देहरादून में पुरकुल गांव से भितरली किमाड़ी मोटर मार्ग हेतु 3.528 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन प्रस्ताव के एवज में मोटीधार क0सं0 4 में 7.10 है0 क्षतिपूरक वृक्षारोपण कार्य की योजना एवं उनका 10 वर्षो तक रखरखाव करना।

क्र0 सं0	कार्य का विवरण	ल0	मात्रा	इकाई	दर	धनराशि
1	2	5	6	7	8	9
	प्रथम वर्ष – अग्रिम मृदा कार्य					
1	वृक्षारोपण क्षेत्र का सर्वेक्षण, सीमांकन एवं उपग्रह मानचित्र तैयार करना		7.10	प्रति है0	238.00	1689.80
2	क्षेत्र में झाड़ी कटान करना व नष्ट करना		7.10	प्रति है0	2518.00	17877.80
3	दो वर्ष पौध की कीमत 10 प्रतिशत क्षतिपूर्ति सहित (प्रथम वर्ष)		7810	प्रति पौध	21.64	169008.40
4	गड्ढों का संरेखण एवं चिन्हीकरण (चूने की कीमत सहित)		7810	प्रति गड्ढा	0.70	5467.00
5	गड्ढे खुदान (0.30cm x0.30 cm x0.45 cm)		7810	प्रति गड्ढा	13.00	101530.00
6	कन्टूर फरों का समरेखण		710	प्रति फर	1.37	972.70
7	कन्टूर फरों का खुदान (अधिकतम 300 रनिंग मी0 प्रति है0)		710	प्रति फर	132.00	93720.00
8	दीवाल बन्दी रनिंग मीटर – चौ0(0.60+0.45)/2 ऊं0 1.20 Mt.	935	589.05	प्र0घ0मी0	742.00	437075.10
	आवश्यकतानुसार तारबाढ़ कार्य किया जायेगा।					
9	वृक्षारोपण क्षेत्र की सम्पूर्ण परिधि में जैविक घेरबाड़ कार्य (3बल्ब प्र0मी0)		5610	प्रति बल्ब	2.49	13968.90
10	मृदा एवं जल संरक्षण कार्य– (प्राक्कलन संलग्न)		7.10	प्रति है0	11500.00	81650.00
11	निरीक्षण बटिया		7.10	प्रति है0	1261.00	8953.10
12	अन्य प्रकीर्ण व्यय।		7.10	प्रति है0	1152.00	8179.20
					योग :– प्रथम वर्ष	**940092.00**
					या रू–	**940090.00**
	द्वितीय वर्ष – रोपण कार्य					
1	पौधों का रखरखाव 10 प्रतिशत क्षतिपूर्ति सहित (द्वितीय वर्ष)		7810	प्रति पौध	4.14	32333.40
2	पौध ढुलान मय 10 प्रतिशत ढुलान में क्षतिपूर्ति सहित बैग पौध, लदाई व उतराई सहित		7810	प्रति पौध	13.67	106762.70
3	कन्टूर फरो में बीज बोना/कटिंग लगाना (बीज एकत्रीकरण करना तथा कटिंग ढुलान सहित		710	प्रति फर	10	7100.00
4	कंकड़–पत्थर छानकर गड्ढों का खाद/कीटनाशक मिलाकर भरान करना		7810	प्रति गड्ढा	2.35	18353.50
5	कन्टूर फरों में खाद मिलाकर नाली को भूतल से 20 सेमी0 ऊपर उठाकर भरान कर दबाना तथा जमाना		710	प्रति फर	10	7100.00
6	पौध रोपण करना अच्छी प्रकार दबाना, अच्छी प्रकार थावला बनाना व रोपण क्षेत्र के अन्दर ढुलान सहित		7810	प्रति पौध	4.42	34520.20
7	गड्ढों में रासायनिक खाद (25 ग्रा0 प्रति गड्ढा)/जैविकखाद/जीवामृत/ कीटनाशक दवा डालना मूल्य सहित		7810	प्रति पौध	1.55	12105.50
8	निराई–गुडाई व मल्चिंग होईग प्रथम व द्वितीय एवं वर्मिकुलाइट,पैरालाईट,फार्मयार्ड, वर्मिकम्पोस्ट की कीमत		7810	प्रति पौध	10.81	84426.10
9	रखरखाव रोपण वर्ष मे 9 माह एक श्रमिक कम से कम 10 है0 क्षेत्र को आधार मानकर		9	प्रति माह	7018.00	63162.00
10	अग्नि सुरक्षा कार्य					
10.1	अग्नि सुरक्षा कार्य–रोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास फूस एवं ज्वलनशील पदार्थो को हटाना		7.1	प्रति है0	495	3514.50
10.2	सुरक्षा घेरवाड के बाहर चारो ओर 5 मी0 चौड़ी पट्टी में आग से सुरक्षा हेतु सफाई करना।		7.1	प्रति है0	292	2073.20
11	अन्य प्रकीर्ण व्यय, जैसे–श्रमिकों तथा सामग्री हेतु छप्पर निर्माण, रोपण क्षेत्र का रख रखाव, प्रचार–प्रसार, बोरी, सुतली, साईन बोर्ड व औजार क्रय / मरम्मत, डाक्यूमेंटेशन/ फोटोग्राफी आदि।		7.1	प्रति है0	1958	13901.80
					योग द्वितीय वर्ष :–	**385352.90**
					या रू–	**385350.00**

	तृतीय वर्ष – अनुरक्षण प्रथम वर्ष					
1	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष का रखरखाव 12 माह हेतु (1 श्रमिक कम से कम 10 हे0 क्षेत्र को आधार मानकर)		12	प्रति माह	7018.00	84216.00
2	निराई–गुडाई व मल्चिंग कार्य एवं वर्मिकुलाइट,पैरालाईट,फार्मयार्ड, वर्मिकम्पोस्ट की कीमत		7810	प्रति पौध	6.76	52795.60
3	क्षतिपूर्ति रोपण (Beating up)-क्षतिपूर्ति रोपण (10 प्रतिशत तक)					
i	पौध की कीमत		781	प्रति पौध	30.89	24125.09
ii	पौध का ढुलान		781	प्रति पौध	13.67	10676.27
iii	गड्ढा खोदना, कीटनाशक मिलाकर भरान एवं थावालाबन्दी कर रोपण करना		781	प्रति पौध	19.77	15440.37
4	अग्नि सुरक्षा कार्य					
4.1	अग्नि सुरक्षा कार्य–रोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास फूस एवं ज्वलनशील पदार्थो को हटाना		7.1	प्रति हे0	495	3514.5
4.2	सुरक्षा घेरबाड के बाहर चारो ओर 5 मी0 चौड़ी पट्टी में आग से सुरक्षा हेतु सफाई करना।		7.1	प्रति हे0	292	2073.2
	योग प्रथम वर्षीय अनुरक्षण :–					**192841.03**
					या रू–	**192840.00**
	चतुर्थ वर्ष – अनुरक्षण द्वितीय वर्ष					
1	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष का रखरखाव 12 माह हेतु (1 श्रमिक कम से कम 10 हे0 क्षेत्र को आधार मानकर)		12	प्रति माह	7018.00	84216.00
2	निराई–गुडाई व मल्चिंग कार्य		7810	प्रति पौध	6.76	52795.60
3	अग्नि सुरक्षा कार्य					
3.1	अग्नि सुरक्षा कार्य–रोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास फूस एवं ज्वलनशील पदार्थो को हटाना		7.1	प्रति हे0	495	3514.50
3.2	सुरक्षा घेरबाड के बाहर चारो ओर 5 मी0 चौड़ी पट्टी में आग से सुरक्षा हेतु सफाई करना।		7.1	प्रति हे0	292	2073.20
	योग द्वितीय वर्षीय अनुरक्षण :–					**142599.30**
					या रू–	**142590.00**
	पंचम वर्ष – अनुरक्षण तृतीय वर्ष					
1	अनुरक्षण 12 माह हेतु (1 श्रमिक कम से कम 10 हे0 क्षेत्र को आधार मानकर)		12	प्रति माह	7018.00	84216.00
2	अग्नि सुरक्षा कार्य					
2.1	अग्नि सुरक्षा कार्य–रोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास फूस एवं ज्वलनशील पदार्थो को हटाना		7.1	प्रति हे0	495	3514.50
2.2	सुरक्षा घेरबाड के बाहर चारो ओर 5 मी0 चौड़ी पट्टी में आग से सुरक्षा हेतु सफाई करना।		7.1	प्रति हे0	292	2073.20
					योग तृतीय वर्षीय अनुरक्षण :–	**89803.70**
					या रू–	**89800.00**
	षष्ठम वर्ष – अनुरक्षण चतुर्थ वर्ष					
1	अनुरक्षण 12 माह हेतु		12	प्रति माह	7018.00	84216.00
3	अग्नि सुरक्षा कार्य					
3.1	अग्नि सुरक्षा कार्य–रोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास फूस एवं ज्वलनशील पदार्थो को हटाना		7.1	प्रति हे0	495	3514.50
3.2	सुरक्षा घेरवाड के वाहर चारो ओर 5 मी0 चौड़ी पट्टी में आग से सुरक्षा हेतु सफाई करना।		7.1	प्रति हे0	292	2073.20
	योग चतुर्थ वर्षीय अनुरक्षण :–					**89803.7**
					या रू–	**89800.00**
	सप्तम वर्ष – अनुरक्षण पंचम वर्ष					
1	अनुरक्षण 12 माह हेतु		12	प्रति माह	7018.00	84216.00
2	अग्नि सुरक्षा कार्य					
2.1	अग्नि सुरक्षा कार्य–रोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घारा फूस एवं ज्वलनशील पदार्थो को हटाना		7.1	प्रति हे0	495	3514.50

2.2	सुरक्षा घेरबाड के बाहर चारो ओर 5 मी0 चौड़ी पट्टी में आग से सुरक्षा हेतु सफाई करना।		7.1	प्रति हे0	292	2073.20
	योग पंचम वर्षीय अनुरक्षण :–					89803.7
					या रू–	89800.00
	अष्टम वर्ष – अनुरक्षण षष्ठम वर्ष					
1	अनुरक्षण 12 माह हेतु		12	प्रति माह	7018.00	84216.00
2	अग्नि सुरक्षा कार्य					
2.1	अग्नि सुरक्षा कार्य–रोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास फूस एवं ज्वलनशील पदार्थो को हटाना		7.1	प्रति हे0	495	3514.50
2.2	सुरक्षा घेरबाड के बाहर चारो ओर 5 मी0 चौड़ी पट्टी में आग से सुरक्षा हेतु सफाई करना।		7.1	प्रति हे0	292	2073.20
	योग षष्ठम वर्षीय अनुरक्षण :–					89803.7
	या					89800.00
	नवम वर्ष – अनुरक्षण सप्तम वर्ष					
1	अनुरक्षण 12 माह हेतु		12	प्रति माह	7018.00	84216.00
2	अग्नि सुरक्षा कार्य					
2.1	अग्नि सुरक्षा कार्य–रोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास फूस एवं ज्वलनशील पदार्थो को हटाना		7.1	प्रति हे0	495	3514.50
2.2	सुरक्षा घेरबाड के बाहर चारो ओर 5 मी0 चौड़ी पट्टी में आग से सुरक्षा हेतु सफाई करना।		7.1	प्रति हे0	292	2073.20
	योग सप्तम वर्षीय अनुरक्षण :–					89803.70
	यु					89800.00
	दशम वर्ष – अनुरक्षण अष्टम वर्ष					
1	अनुरक्षण 12 माह हेतु		12	प्रति माह	7018.00	84216.00
2	अग्नि सुरक्षा कार्य					
2.1	अग्नि सुरक्षा कार्य–रोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास फूस एवं ज्वलनशील पदार्थो को हटाना		7.1	प्रति हे0	495	3514.50
2.2	सुरक्षा घेरबाड के बाहर चारो ओर 5 मी0 चौड़ी पट्टी में आग से सुरक्षा हेतु सफाई करना।		7.1	प्रति हे0	292	2073.20
	योग अष्टम वर्षीय अनुरक्षण :–					89803.70
	या					89800.00
	एकादश वर्ष – अनुरक्षण नवम वर्ष					
1	अनुरक्षण 12 माह हेतु		12	प्रति माह	7018.00	84216.00
2	अग्नि सुरक्षा कार्य					
2.1	अग्नि सुरक्षा कार्य–रोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास फूस एवं ज्वलनशील पदार्थो को हटाना		7.1	प्रति हे0	495	3514.50
2.2	सुरक्षा घेरबाड के बाहर चारो ओर 5 मी0 चौड़ी पट्टी में आग से सुरक्षा हेतु सफाई करना।		7.1	प्रति हे0	292	2073.20
	योग अष्टम वर्षीय अनुरक्षण :–					89803.70
	या					89800.00
	द्वादश वर्ष – अनुरक्षण दशम वर्ष					
1	अनुरक्षण 12 माह हेतु		12	प्रति माह	7018.00	84216.00
2	अग्नि सुरक्षा कार्य					
2.1	अग्नि सुरक्षा कार्य–रोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास फूस एवं ज्वलनशील पदार्थो को हटाना		7.1	प्रति हे0	495	3514.50
2.2	सुरक्षा घेरबाड के बाहर चारो ओर 5 मी0 चौड़ी पट्टी में आग से सुरक्षा हेतु सफाई करना।		7.1	प्रति हे0	292	2073.20
					योग अष्टम वर्षीय अनुरक्षण :–	89803.70
					या	89800.00
					कुल योग–	2379270.00
					या रू–	2379170.00

प्रतिहस्ताक्षरित

प्रभागीय वनाधिकारी
मसूरी वन प्रभाग
मसूरी

उप प्रभागीय वनाधिकारी
देहरादून मसूरी वन प्रभाग
मसूरी

वन क्षेत्राधिकारी
मसूरी रेंज
मसूरी वन प्रभाग

जनपद देहरादून में पुरकुल गांव से भितरली किमाड़ी मोटर मार्ग हेतु 3.528 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावव्रन प्रस्ताव के एवज में मोटीधार क0सं0 4 में 7.10 है0 क्षतिपूरक वृक्षारोपण कार्य की योजना एवं उनका 10 वर्षो तक रखरखाव करना।

भूमि एवं जल संरक्षण कार्यो का प्राक्कलन

S. N.	Discription	Nos	L	W	H/D	Qty.	Unit	Rate	Amount (Rs)
	आर0आर0 ड्राई चैकडैम निर्माण कार्य–								
1	स्थल की सफाई करना एवं चिन्हीकरण कार्य	2 x 1	8.00	3.25		52.00	Sqm	38.00	1976.00
2	आर0आर0ड्राई चेक डेम निर्माण हेतु बुनियाद खुदान करना	2 x 1	7.00	1.25	0.50	8.75	cum	325.00	2843.75
3	आर0आर0ड्राई चेक डेम निर्माण हेतु पत्थरों की चिनाई करना								
	बुनियाद में	2 x 1	7.00	1.25	0.50	8.75	cum		
	सुपर स्ट्रक्चर प्रथम भाग में	2 x 1	7.60	(1.0+0.75)/2	1.20	16.87	cum		
	हेडवाल निर्माण	2 x 2	3.50	(0.60+0.50)/2	0.50	3.85	cum		
				Total		29.47	Sqm	1739.00	51248.33
	योग–								**56068.08**
2	गली प्लग निर्माण कार्य–								
1	गली प्लग निर्माण हेतु स्थल की सफाई करना	2 x 1	3.00	0.80		4.80	Sqm	38.00	182.00
2	गली प्लग निर्माण हेतु बुनियाद खुदान कार्य	2 x 1	2.00	0.60	0.30	0.72	cum	325.00	234.00
3	आर0आर0 ड्राई पत्थरों की चिनाई कार्य–								
	बुनियाद में	2 x 1	2.00	0.60	0.30	0.72	cum		
	सुपर स्ट्रक्चर में	2 x 1	2.50	(0.6+0.45)/2	1.00	2.63	cum		
				Total		3.35	Sqm	1739.00	5825.65
	योग–								**6241.65**
	चालखाल निर्माण कार्य–								
1	चाल–खाल निर्माण हेतु स्थल की सफाई करना	2 x 1	6.00	5.00		60.00	Sqm	38.00	2280.00
2	चाल–खाल हेतु भूमि खुदान, कटान कार्य–								
	मिट्टी, पत्थर कटान कर स्थल समतलीकरण करना	2 x 1	5.00	4.00	(0+0.9)/2	13.00	cum		
	मिट्टी, पत्थर कटान कर गड्ढा खोदना	2 x 1	5.00	4.00	1.00	40.00	cum		
					Total	53.00	cum	325.00	17225.00
	योग–								**19505.00**
	कुल योग–								**81814.73**
	या रू0–								**81650.00**

Rate Analysis for one cum masonry, Devalsari Range, Mussoorie Forest Division
Cartage of Stones from 1 Km. distance

1	कोरे पत्थरों की दीवाल चिनाई कार्य मय पत्थरों की कीमत							859.00
2	100 मीटर के बाद 500 मीटर तक	80%	31	x	1	x	20	496.00
3	500 मीटर के बाद	60%	16	x	2	x	20	384.00
							Total	1739.00

प्रभागीय वनाधिकारी
मसूरी वन प्रभाग
मसूरी

प्रतिहस्ताक्षरित
उप प्रभागीय वनाधिकारी
देहरादून मसूरी वन प्रभाग
मसूरी

वन क्षेत्राधिकारी
मसूरी रेंज
मसूरी वन प्रभाग

रफेरेन्स मैपः— जनपद देहरादून में पुरूकुल गांव से भितरली—किमाडी मोटर मार्ग हेतु चयनित क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल

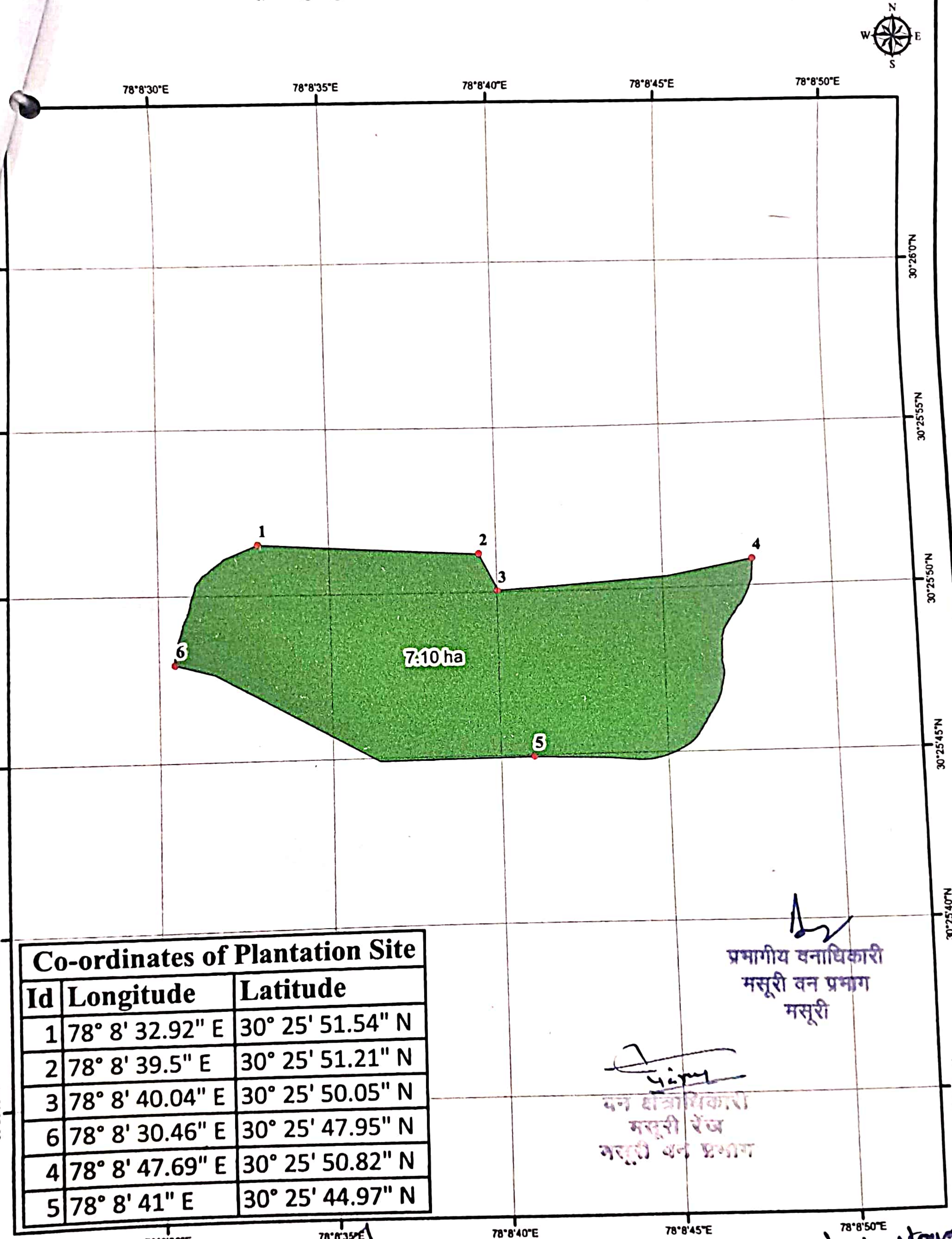

Co-ordinates of Plantation Site

Id	Longitude	Latitude
1	78° 8' 32.92" E	30° 25' 51.54" N
2	78° 8' 39.5" E	30° 25' 51.21" N
3	78° 8' 40.04" E	30° 25' 50.05" N
6	78° 8' 30.46" E	30° 25' 47.95" N
4	78° 8' 47.69" E	30° 25' 50.82" N
5	78° 8' 41" E	30° 25' 44.97" N

प्रभागीय वनाधिकारी
मसूरी वन प्रभाग
मसूरी

वन क्षेत्राधिकारी
मसूरी रेंज
मसूरी वन प्रभाग

Legend

GPS Location

Proposed Plantation Site

1:4,500

AAE

A.E

Executive Engineer
P.M.E.&Y.
Irrigation Division
Dehradun (Uttarakhand)

Prepared by: ITGC, PCCF Office, Dehradun

उप प्रभागीय वनाधिकारी
(देहरादून)
मसूरी वन प्रभाग मसूरी

डिजिटल मैपः– जनपद देहरादून में पुरुकुल गांव से भितरली–किमाडी मोटर मार्ग हेतु चयनित क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल

SOI Toposheet No: 53J/03

Legend

- Reserve Forest Area
- Reserve Forest Boundary
- Forest Division Boundary
- Proposed Plantation Site

0 0.25 0.5 1 1.5 2 Km

Scale-1:50,000

Prepared by: ITGC, PCCF Office, Dehradun

प्रभागीय वनाधिकारी
मसूरी वन प्रभाग
मसूरी

(CAAE)   A.E

उप प्रभागीय वनाधिकारी
(देहरादून)
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी

Executive Engineer
P.M.G.S.Y.
Irrigation Division
Dehradun (Uttarakhand)

उपयोगिता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद देहरादून में पुरकुल–किमाड़ी मोटर मार्ग में पड़ने वाली 3.582 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन प्रस्ताव के एवज में मोटीधार क0सं0 4 में 7.10 है0 क्षतिपूरक वनीकरण हेतु क्षेत्र चयनित किया गया है। उक्त क्षेत्र वृक्षारोपण के लिए उपयुक्त है।

SDO (D)

वन क्षेत्राधिकारी
मसूरी रेंज
मसूरी वन प्रभाग

प्रभागीय वनाधिकारी
मसूरी वन प्रभाग
मसूरी

संलग्नक – 1

प्रारूप–1

परियोजना का नामः– जनपद देहरादून के विकासखण्ड़ सहसपुर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, पुरूकुल गावं से भितरली–किमाड़ी मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (लम्बाई 10.40 कि0मी0)

वन भूमि की विधिक परिस्थिति न बदले जाने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है, कि जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित पुरूकुल गावं से भितरली–किमाड़ी मोटर मार्ग (लम्बाई 10.40 किमी0) पर वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जायेगी।

अपर सहायक अभियन्ता	सहायक अभियन्ता	अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0,	पी0एम0जी0एस0वाई0,	पी0एम0जी0एस0वाई0,
सिंचाई खण्ड़, देहरादून	सिंचाई खण्ड़, देहरादून	सिंचाई खण्ड़, देहरादून

संलग्नक – 4

प्रारूप–4

परियोजना का नामः– जनपद देहरादून के विकासखण्ड़ सहसपुर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, पुरूकुल गावं से भितरली–किमाड़ी मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (लम्बाई 10.40 कि0मी0)

प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर वनीकरण का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है, कि जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित पुरूकुल गावं से भितरली–किमाड़ी मोटर मार्ग (लम्बाई 10.40 किमी0) पर प्रतिपूरक वनीकरण योजना के 10 वर्षो तक रख–रखाव हेतु वांछित धनराशि **रू0 2379170.00** जमा की जा चुकी है।

अपर सहायक अभियन्ता पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड़, देहरादून	सहायक अभियन्ता पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड़, देहरादून	अधिशासी अभियन्ता पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड़, देहरादून

संलग्नक-5

प्रारूप–5

परियोजना का नामः– **जनपद देहरादून के विकासखण्ड़ सहसपुर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, पुरूकुल गावं से भितरली–किमाड़ी मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (लम्बाई 10.40 कि0मी0)**

शुद्ध वर्तमान मूल्य के अतिरिक्त राशि की देयता

प्रमाणित किया जाता है, कि जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित पुरूकुल गावं से भितरली–किमाड़ी मोटर मार्ग (लम्बाई 10.40 किमी0) पर प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान भूमि के अतिरिक्त राशि यदि कोई हो, जो अन्तिम रूप देने के बाद देय हो, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा कर दी जायेगी।

अपर सहायक अभियन्ता **पी0एम0जी0एस0वाई0,** **सिंचाई खण्ड़, देहरादून**	**सहायक अभियन्ता** **पी0एम0जी0एस0वाई0,** **सिंचाई खण्ड़, देहरादून**	Shrivastava **अधिशासी अभियन्ता** **पी0एम0जी0एस0वाई0,** **सिंचाई खण्ड़, देहरादून**

परिलग्नक - 8

प्रारूप–8

परियोजना का नामः– जनपद देहरादून के विकासखण्ड़ सहसपुर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, पुरूकुल गावं से भितरली–किमाड़ी मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (लम्बाई 10.40 कि0मी0)

प्रमाण पत्र

This is to Certified that State Government will inform to this office if they pass any order for Tree cutting and commencement of work before stage-II approvals no further activity is carried out under such permission after the expiry of one year from the date of issue of such permission.

अपर सहायक अभियन्ता पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड़, देहरादून	सहायक अभियन्ता पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड़, देहरादून	Shrivastava अधिशासी अभियन्ता पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड़, देहरादून

प्रारूप–11

परियोजना का नामः– जनपद देहरादून के विकासखण्ड सहसपुर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, पुरूकुल गावं से भितरली–किमाड़ी मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (लम्बाई 10.40 कि0मी0)

सड़क के दोनो किनारों एवं उसके बीचों–बीच पौधों की संख्या प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है, कि जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित पुरूकुल गावं से भितरली–किमाड़ी मोटर मार्ग (लम्बाई 10.40 किमी0) परियोक्ता अभिकरण आई0आर0सी0 मानदण्डों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों पर पौधों की संख्या बढायी जायेगी।

अपर सहायक अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0,
सिंचाई खण्ड, देहरादून

सहायक अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0,
सिंचाई खण्ड, देहरादून

अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0,
सिंचाई खण्ड, देहरादून

प्रारूप–12

परियोजना का नामः– जनपद देहरादून के विकासखण्ड़ सहसपुर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, पुरूकुल गावं से भितरली–किमाड़ी मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (लम्बाई 10.40 कि0मी0)

निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है, कि जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित पुरूकुल गावं से भितरली–किमाड़ी मोटर मार्ग (लम्बाई 10.40 किमी0) संरक्षित/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साईनेज अनुपालन में लगा दिये जायेंगे।

अपर सहायक अभियन्ता पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड़, देहरादून	सहायक अभियन्ता पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड़, देहरादून	अधिशासी अभियन्ता पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड़, देहरादून

प्रारूप–13

परियोजना का नामः– जनपद देहरादून के विकासखण्ड़ सहसपुर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, पुरूकुल गावं से भितरली–किमाड़ी मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (लम्बाई 10.40 कि0मी0)

अंडर/ओवर पास प्रदान करने हेतु प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है, कि जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित पुरूकुल गावं से भितरली–किमाड़ी मोटर मार्ग (लम्बाई 10.40 किमी0) पर सीडब्ल्यूएलउब्ल्यू/एनबीडब्ल्यूएल/एफएसी/आरईसी की सिफारिशों के अनुसार उपयोगकर्ता अभिकरण संरक्षित क्षेत्र ध्वन क्षेत्र में उपयुक्त अंडर/ओवर पास प्रदान करना पी0एम0जी0एस0वाई0 के मानकों के अनुसार नहीं है।

अपर सहायक अभियन्ता पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड़, देहरादून	सहायक अभियन्ता पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड़, देहरादून	अधिशासी अभियन्ता पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड़, देहरादून

प्रारूप–14

परियोजना का नामः– जनपद देहरादून के विकासखण्ड़ सहसपुर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, पुरूकुल गावं से भितरली–किमाड़ी मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (लम्बाई 10.40 कि0मी0)

भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की पर्यावरणीय स्वीकृति

प्रमाणित किया जाता है, कि जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित पुरूकुल गावं से भितरली–किमाड़ी मोटर मार्ग (लम्बाई 10.40 किमी0) पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम–1986 के प्राविधानों के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त की जायेगी।

अपर सहायक अभियन्ता पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड़, देहरादून	सहायक अभियन्ता पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड़, देहरादून	अधिशासी अभियन्ता पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड़, देहरादून

प्रारूप–15

परियोजना का नामः– जनपद देहरादून के विकासखण्ड सहसपुर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, पुरूकुल गावं से भितरली–किमाड़ी मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (लम्बाई 10.40 कि0मी0)

ले–आउट प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है, कि जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित पुरूकुल गावं से भितरली–किमाड़ी मोटर मार्ग (लम्बाई 10.40 किमी0) पर केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जायेगा।

अपर सहायक अभियन्ता पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड, देहरादून	सहायक अभियन्ता पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड, देहरादून	अधिशासी अभियन्ता पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड, देहरादून

प्रारूप–16

परियोजना का नामः– जनपद देहरादून के विकासखण्ड़ सहसपुर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, पुरूकुल गावं से भितरली–किमाड़ी मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (लम्बाई 10.40 कि0मी0)

श्रमिक शिविर स्थापित प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है, कि जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित पुरूकुल गावं से भितरली–किमाड़ी मोटर मार्ग (लम्बाई 10.40 किमी0) के वनभूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जायेगा।

अपर सहायक अभियन्ता	सहायक अभियन्ता	अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0,	पी0एम0जी0एस0वाई0,	पी0एम0जी0एस0वाई0,
सिंचाई खण्ड़, देहरादून	सिंचाई खण्ड़, देहरादून	सिंचाई खण्ड़, देहरादून

प्रारूप–17

परियोजना का नामः– जनपद देहरादून के विकासखण्ड़ सहसपुर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, पुरूकुल गावं से भितरली–किमाड़ी मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (लम्बाई 10.40 कि0मी0)

वैकल्पिक ईंधन प्रदान करने हेतु प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है, कि जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित पुरूकुल गावं से भितरली–किमाड़ी मोटर मार्ग (लम्बाई 10.40 किमी0) पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्य वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन किसी अन्य कानूनी श्रोत से पर्याप्त लकड़ी विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जायेगा।

अपर सहायक अभियन्ता पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड़, देहरादून	सहायक अभियन्ता पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड़, देहरादून	अधिशासी अभियन्ता पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड़, देहरादून

प्रारूप–18

परियोजना का नामः– जनपद देहरादून के विकासखण्ड़ सहसपुर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, पुरूकुल गावं से भितरली–किमाड़ी मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (लम्बाई 10.40 कि0मी0)

भूमि पर सीमांकन करने हेतु प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है, कि जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित पुरूकुल गावं से भितरली–किमाड़ी मोटर मार्ग (लम्बाई 10.40 किमी0) पर संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित वनभूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि नमांकन किया जायेगा।

अपर सहायक अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0,
सिंचाई खण्ड़, देहरादून

सहायक अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0,
सिंचाई खण्ड़, देहरादून

अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0,
सिंचाई खण्ड़, देहरादून

प्रारूप—19

परियोजना का नामः— जनपद देहरादून के विकासखण्ड़ सहसपुर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, पुरूकुल गावं से भितरली—किमाड़ी मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (लम्बाई 10.40 कि0मी0)

वन क्षेत्र के अन्दर नया व अतिरिक्त मार्ग न बनाये जाने हेतु प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है, कि जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित पुरूकुल गावं से भितरली—किमाड़ी मोटर मार्ग (लम्बाई 10.40 किमी0) परियोजना कार्य के निष्पादन के लिये निर्माण सामग्री के परिवहन के लिये वन क्षेत्र के अन्दर नया व अतिरिक्त मार्ग नही बनाया जायेगा।

अपर सहायक अभियन्ता	सहायक अभियन्ता	अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0,	पी0एम0जी0एस0वाई0,	पी0एम0जी0एस0वाई0,
सिंचाई खण्ड़, देहरादून	सिंचाई खण्ड़, देहरादून	सिंचाई खण्ड़, देहरादून

प्रारूप–20

परियोजना का नामः– जनपद देहरादून के विकासखण्ड़ सहसपुर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, पुरूकुल गावं से भितरली–किमाड़ी मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (लम्बाई 10.40 कि0मी0)

(वन भूमि लीज पर दिये जाने/लीज नवीनीकरण के प्रकरणों में लागू)

लीज अवधि का प्रमाण–पत्र (लागू नहीं है)

प्रमाणित किया जाता है, कि परियोजना हेतु प्रस्तावित वन भूमि शून्य वर्षो की लीज पर ली जानी प्रस्तावित है।

अपर सहायक अभियन्ता पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड़, देहरादून	सहायक अभियन्ता पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड़, देहरादून	अधिशासी अभियन्ता पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड़, देहरादून

प्रारूप–21

परियोजना का नामः– जनपद देहरादून के विकासखण्ड़ सहसपुर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, पुरूकुल गावं से भितरली–किमाड़ी मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (लम्बाई 10.40 कि0मी0)

वनभूमि का प्रयोग अन्य किसी प्रयोजन हेतु न किये जाने प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है, कि जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित पुरूकुल गावं से भितरली–किमाड़ी मोटर मार्ग (लम्बाई 10.40 किमी0) पर वनभूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जायेगा।

अपर सहायक अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0,
सिंचाई खण्ड़, देहरादून

सहायक अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0,
सिंचाई खण्ड़, देहरादून

अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0,
सिंचाई खण्ड़, देहरादून

प्रारूप–22

परियोजना का नामः– जनपद देहरादून के विकासखण्ड़ सहसपुर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, पुरूकुल गावं से भितरली–किमाड़ी मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (लम्बाई 10.40 कि0मी0)

वनभूमि हस्तानान्तरित न किये जाने प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है, कि जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित पुरूकुल गावं से भितरली–किमाड़ी मोटर मार्ग (लम्बाई 10.40 किमी0) पर वनभूमि केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जोयगी।

अपर सहायक अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0,
सिंचाई खण्ड़, देहरादून

सहायक अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0,
सिंचाई खण्ड़, देहरादून

अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0,
सिंचाई खण्ड़, देहरादून

प्रारूप–23

परियोजना का नामः– जनपद देहरादून के विकासखण्ड़ सहसपुर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, पुरूकुल गावं से भितरली–किमाड़ी मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (लम्बाई 10.40 कि0मी0)

शर्त उल्लघंन न करने हेतु प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है, कि जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित पुरूकुल गावं से भितरली–किमाड़ी मोटर मार्ग (लम्बाई 10.40 किमी0) पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लघंन करने पर पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशा निर्देश, फाईल सं0–11–42/2017–FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार कार्यवाही होगी।

अपर सहायक अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0,
सिंचाई खण्ड़, देहरादून

सहायक अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0,
सिंचाई खण्ड़, देहरादून

Shrivastava
अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0,
सिंचाई खण्ड़, देहरादून

परियोजना का नामः– जनपद देहरादून के विकासखण्ड़ सहसपुर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, पुरूकुल गावं से भितरली–किमाड़ी मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (लम्बाई 10.40 कि0मी0)

वन्य जीव / वनस्पतियों को क्षति न पहुंचाये जाने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है, कि प्रस्तावित परियोजना के निर्माण कार्य / रख–रखाव के दौरान वन्य जीवों / स्थानीय वनस्पतियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जायेगा।

अपर सहायक अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0,
सिंचाई खण्ड़, देहरादून

सहायक अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0,
सिंचाई खण्ड़, देहरादून

Shrivastava
अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0,
सिंचाई खण्ड़, देहरादून

परियोजना का नामः— जनपद देहरादून के विकासखण्ड़ सहसपुर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, पुरूकुल गावं से भितरली—किमाड़ी मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (लम्बाई 10.40 कि0मी0)

मार्ग के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थानों पर वृक्षारोपण की धनराशि को वहन किये जाने हेतु प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है, कि उक्त प्रकरण में रिक्त पड़े स्थानों पर वृक्षारोपण की आवश्यक धनराशि ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड़ द्वारा किया जायेगा।

अपर सहायक अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0,
सिंचाई खण्ड़, देहरादून

सहायक अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0,
सिंचाई खण्ड़, देहरादून

अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0,
सिंचाई खण्ड़, देहरादून

प्रारूप–24

परियोजना का नामः– जनपद देहरादून के विकासखण्ड़ सहसपुर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, पुरूकुल गावं से भितरली–किमाड़ी मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (लम्बाई 10.40 कि0मी0)

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है, कि जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित पुरूकुल गावं से भितरली–किमाड़ी मोटर मार्ग (लम्बाई 10.40 किमी0) पर यदि कोई अन्य अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/अनुदेश आदि लागू होते है, तो उनके अधीन जरूरी अनुमति प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा ली जायेगी।

अपर सहायक अभियन्ता पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड़, देहरादून	सहायक अभियन्ता पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड़, देहरादून	अधिशासी अभियन्ता पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड़, देहरादून

प्रारूप–39

परियोजना का नामः– जनपद देहरादून के विकासखण्ड़ सहसपुर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, पुरूकुल गावं से भितरली–किमाड़ी मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (लम्बाई 10.40 कि0मी0)

परियोजना में कार्यरत श्रमिकों को मिट्टी का तेल/रसोई गैस उपलब्ध कराये जाने का

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है, कि प्रश्नगत परियोजना निर्माण कार्य के दौरान निर्माण कार्य में कार्यरत श्रमिकों/कर्मचारिकों को प्रयोक्त एजेन्सी द्वारा मिट्टी का तेल/रसोई गैस उपलब्ध करायी जायेगी ताकि आस पास के वृक्षों, वनों एवं जीवों की किसी भी प्रकार की क्षति न हो।

अपर सहायक अभियन्ता पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड़, देहरादून	सहायक अभियन्ता पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड़, देहरादून	अधिशासी अभियन्ता पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड़, देहरादून

प्रारूप–49

परियोजना का नामः– जनपद देहरादून के विकासखण्ड़ सहसपुर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, पुरूकुल गावं से भितरली–किमाड़ी मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (लम्बाई 10.40 कि0मी0)

मक डम्पिंग प्लान प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है, कि जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योज़ना के अन्तर्गत प्रस्तावित पुरूकुल गावं से भितरली–किमाड़ी मोटर मार्ग (लम्बाई 10.40 किमी0) के निर्माण कार्य के समय उत्सर्जित मलवे के निस्तारण हेतु गठित किया गया है। उत्सर्जित मलवे के निस्तरण हेतु स्थल चयन हेतु संयुक्त निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय मार्ग में नाप भूमि में चैनेज सं0–.1/16, 1/37, 2/16, 2/32, 2/10, 4/25,/5/1, 6/4, 6/22, 8/1, 8/20, 9/4 एवं 9/24 जो कि लगभग जिसमें 13 नं0 डम्पिंग जोन प्रस्तावित है। उक्त स्थल मार्ग के किनारे स्थित है। मलवा निस्तारण हेतु खड साईड में मार्ग के समान्तरण वायर केट लगाये जाने का प्रावधान है। कृषकों द्वारा अपनी भूमि पर मलवा निस्तारण हेतु अनापत्ति भी प्रदान की गयी है। अतः उक्तानुसार उत्सर्जित मलवे के निस्तारण हेतु प्राक्कलन गठित किया गया है। उक्त प्राक्कलन के अनुसार ही मार्ग निर्माण के समय उक्त कार्य भी कराये जायेंगे। मलवा कही भी वृक्ष आछादित एवंज लल श्रोतों में नही डाला जायेगा।

अपर सहायक अभियन्ता पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड़, देहरादून	सहायक अभियन्ता पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड़, देहरादून	अधिशासी अभियन्ता पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड़, देहरादून

प्रारूप–49.1

परियोजना का नामः– जनपद देहरादून के विकासखण्ड़ सहसपुर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, पुरूकुल गावं से भितरली–किमाड़ी मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (लम्बाई 10.40 कि0मी0)

मलवा निस्तारण व्यय वहन प्रमाण पत्र

मक डिस्पोजल हेतु वनीकरण एवं अभियांत्रिकी कार्यो में जो भी व्यय होगा, उसे ग्राम्य विकास विभाग द्वारा वन विभाग की मांग के अनुसार उपलब्ध करा दिया जायेगा।

अपर सहायक अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0,
सिंचाई खण्ड़, देहरादून

सहायक अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0,
सिंचाई खण्ड़, देहरादून

अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0,
सिंचाई खण्ड़, देहरादून